



इस्तिनाहाते मेहद्विया





इस्तिलाहाते मेहदुविया



मजलिसे दफा-ए-हक
मुहम्मद हजरत सैयद मुहम्मद (रह.) कोर्ट साहब
चंचलगूडा, हैदराबाद

● इब्तेदाइया ●

बिरादरान व ख्वाहरान के लिए “इस्तिलाहात-ए-मेहदविया” के नाम से ये किताब पेश की जा रही है।

इस्तिलाहात की अपनी अहमियत होती है। क़ानूनी, तिजारती, मज़हबी या तकनीकी मुआमलात में इस्तिलाहात मुरव्विज हैं।

क़ौम-ए-मेहदविया में भी इस्तिलाहात का चलन आम है। बिलखुसूस नौजवानों की मालूमात के लिए मजलिसे दफ़ा-ए-हक़ की जानिब से एक कोशिश की गई है। उम्मीद है कि क़ारिर्दने किराम मुस्तफ़िद होंगे। मुम्किन है कि बाज़ अहम इस्तिलाहात छूट गए हों और मुम्किन है कि बाज़ ग़लतियां भी हो गई हों। आप से इल्तिमास है कि हमें आगाह फरमाएं, ता कि इन्शा अल्लाह, दूसरे एडिशन में छूटी हुई इस्तिलाहात को शामिल किया जाए और ग़लतियों को दूर किया जाए।

मुसद्दिकीन से मारुज़ा है कि हमारी क़ौमी इस्तिलाहात जैसी चली आ रही हैं-वैसी ही हमारे बोलने और लिखने में जारी रहें। तब्दीली नामुनासिब है। मसलन् “हज़ीरा” को हज़ीरा ही बोला जाए, ना कि क़ब्रस्तान। वक्ते त्आम “अल्लाह दिया” कहने के बजाए “बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए” नहीं कहना चाहिए।

इस किताब की तैयारी के लिए हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन उर्फ़ ख़ूबमियां साहब पालनपूरी (रह.) की किताब “हुदूदे दायरा-मेहदविया” और हज़रत ख़ुदाबख़्श रश्दी साहब किब्ला (रह.) का “रिसाला नाफ़िआ” और “चरागे दीने महदी (अ.स.)” से मदद ली गई है और बाज़ क़ौमी कुतुब से भी मदद ली गई है।

● उन्वानात बा एतबार हुरूफ़े तहजी ●

इज़तरार	1	हुदूदे कसब	14
अफ़आले इर्शादी	1	हज़ीरा	16
अल्लाह दिया	5	खातिमैन अलैहिस्सलाम	16
उम्मुल मुसद्दिकीन	5	खातूने विलायत (रज़ी.)	17
अहले फ़राग	5	खादिम	17
बिना तर्क मरनेवाला	5	ख़ुदा तलबी	17
बंदगीमियां	6	ख़ुदा-ए-त्आला की राह के हिजाबात	18
बंदगीमीरां	6	ख़ूदी को खाना	18
बोला-चाला मुआफ़ करवाना	7	ख़ुशूदी-ए-मुर्शिद	18
भाई कालू और भाई लालू	8	ख़ूदकार	18
बे-इस्खियारी	8	दायरा	19
बीनाई	8	दूरें	19
पसख़ूर्दा	9	दिन दिहाड़े	19
पगड़ी और अंगरखा	9	दुन्या की मस्ती	20
पीर	9	दूगाना तहिय्यतिल वुजू	20
पैश रु और पस रु	10	दूगाना लैलतुल क़द्र	20
तारिकुदुन्या	11	धूल या दूगाना	21
ताज सरमा अस्त	11	ज़ाकिरीन के मदारिज	21
तरबियत	12	ज़िक्रे ख़ुदा दवामा	21
तर्के तदबीर	12	ज़िक्र-इन अवकात में भी	22
तस्मिया ख़्वानी (बिस्मिल्लाह पढ़ाना)	12	ज़िक्रे ख़फ़ी	22
तस्वियत	13	ज़िक्र की ताकीद-कुरआनी आयात से	23
तअय्युन	14	तरतीब-ए-ज़िक्र	25
जमाअत ख़ाना	14	हदीसे कुदसी	25
हुजरा	14	रुख़्सत	25

जर और खाक बराबर होना	26	क्रौम	40
साठी उम्र कज़ा	26	क़ैद क़दम	41
सुधारा	28	कासिब	41
सुल्तानुल् लैल व सुल्तानुन् नहार	28	कबड्डी	42
सवाल	29	कबड्डी का बहरेआम	43
सवियत	29	कशफ़	43
शिकनंदा फ़कीरी	29	खिचड़ी	43
शहादत	29	खिचड़ी (भाती)	43
शहादते मरख्मूसा	30	गिरोह का बुलावा	44
सोहबत	30	गिरोहे मुकदसा	45
तालिब	31	घड़ी	45
तालिबे सादिक की सिफ़ात	31	ला इलाह इल्लल्लाह की तफ़हीम	45
उश्र	31	लिसानी मेहदवी	45
अता-ए-बारी	32	लिल्लाहियत	46
गर गरहे मर्ग	32	लैलतुल ईमान	46
फ़ाका	33	मुतवल्ली	46
फ़ुतूह	33	मुरीद	47
फ़राइज़े विलायत	34	मुसदिक़	47
फ़कीर	35	मुज़र	48
फ़कीर और इनकी पगड़ी	36	मम्नुआत	48
फ़कीरी के अहकाम	36	मुहाजिर	49
फ़कीर (सोहबती व सनदी)	37	मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम	49
फ़ैज़	38	नानरेज़ा	49
क़ाएदीन	38	नक़््लियात	50
क़दमबोसी	39	हड़वाड़	51
क़तई जण्णती	39	— ≡ • ≡ —	

◆ इज़तरार :

फ़ाक़ों की वजह से जो इज़तराब होता है, या बेचैनी पैदा होती है, इस को इज़तरार कहते हैं। ऐसी हालत में ग़िज़ा के लीए थोड़ी बहुत दौड़-धूप की जा सकती है। जिस को इज़तरार हो, उस को मुज़तर कहते हैं।

◆ अफ़आले इर्शादी :

अफ़आले इर्शादी यानी वह अफ़आल जो मुर्शिदीन अंजाम देते हैं-चौदह (१४) हैं...

(१) इलाक़ा लेना : जब किसी मुरीद के मुर्शिद का इन्तेक़ाल हो जाए और वह उन मुर्शिद के जानशीन से तजदीदे बैअत करता है, तो इस को इलाक़ा लगाना कहा जाता है और मुर्शिद-जो इस बैअत की तजदीद फ़रमाते हैं, तो इस को इलाक़ा लेना कहा जाता है। मुरीद करते वक़्त कल्मा ईमान-ए-मुफ़स्सिल व ईमान-ए-मुजम्मिल व ज़िक्र की तालीम, सिलसिला-ए-तरबियत वगैरा सब मुर्शिद के ज़रिए मुरीद को बतलाए जाते हैं। इलाक़ा लेने के वक़्त सिर्फ़ मुर्शिद अल्लाह वास्ते इलाक़ा कुबूल फ़रमाते हैं।

(२) तल्कीन करना : मुर्शिद अपने मुरीद को तल्कीने ज़िक्र फ़रमाते हैं और तरीक़ा-ए-ज़िक्र बतलाते हैं।

(३) नमाज़े जनाज़ा पढ़ाना : मुर्शिद जब नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं, तो इस से मुरीद को फ़ायदा पहुंचता है। इन्तेक़ाल के बाद नहलाने के बाद तब्दीली आ जाती है और नमाज़े जनाज़ा की अदाईगी से मैयत में मज़ीद बहेतरी आ जाती है।

(४) मुर्दे को मुश्तेखाक देना : मुर्शिद मुर्दे को मुश्तेखाक देते हैं। मुर्शिद कामिल हो तो उस की मुश्तेखाक से मुरीद को नजात मिल जाती है और मक़ामात बुलंद नसीब हो जाता है।

(५) पसख़ूर्दा देना : पसख़ूर्दा की तासीर से अमराज़े रूहानी (जहेनी

बिमारियां) दूर होते हैं। नीज़ मर्जे जिस्मानी और बलाओं के इलाज के लिए मुरीदीन अपने-अपने मुर्शिदीन से पसखूर्दा तलब करते हैं और उन के एतेकाद की बदौलत ख़ुदा-ए-त्आला उन को कामियाब करता है।

(६) सलाम फेरना : फ़ज़्र की नमाज़ पढ़कर तुलू-ए-आफ़ताब तक जि़क्र में बैठने के बाद मुर्शिद और हाज़िरीन-जब इस नशिस्त से उठते हैं, तो मुर्शिद सलाम फेरते हैं और रात में इशा के बाद बाज़ दायरों में सलाम फेरते हैं और बाज़ दायरों में तस्बीह दे कर सलाम फेरा जाता है। इलावा अजीं, बहरेआम या तरावीह व दूगाना या मज़हबी जल्सों के बाद तमाम दायरों में तस्बीह दी जाती है और सलाम फेरा जाता है।

(७) कुरआन मजीद का बयान करना : हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयाने कुरआन करने वाले में तीन जाहिरी और तीन बातिनी खूबियों की मौजूदगी को ज़रूरी फ़रमाया है...

जाहिरी खूबियां : (१) मुतवक्किल हो (२) अल्लाह जो दे-उस को उसी दिन लिल्लाह खर्च कर दे (३) दुन्यादार के घर न जाए।

बातिनी खूबियां : (१) चश्मेसर से ख़ुदा को देखने वाला हो (२) मुर्दे के हाल की ख़बर दे (३) उस की नज़र में ज़र व ख़ाक (सोना व मीट्टी) बराबर हों। पस, जिस में यह सीफ़तें न पाई जाएं-वह बयाने कुरआन का अह्ल नहीं है।

(८) ताज़ीर मारना : मुर्शिद के रूबरू मुरीद अपने गुनाहों का इकरार करते और मुर्शिद उस को काबिले ताज़ीर समज़ते-तो ज़रूर ताज़ीर मारते थे यानी दुर्रे लगाते थे, ता कि इस गुनाह की तकलीफ़ यहीं (दुन्या में ही) उठा ले और मरने के बाद अज़ाब से बचे। दुर्रे मारने की रिवायत हज़रत ख़ातिमकार आख़िर हाकीम (रह.) के ज़माने तक बरकरार थी। **والله اعلم بالصواب**

(९) दूगाना शबेक़द्र पढ़ना : दूगाना शबेक़द्र की नमाज़ मुर्शिद ही पढ़ाते

है, यह खास नमाज़ है। हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) नमाज़े पंजगाना के लिए मियां लाड़ (रज़ी.) को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म फ़रमाते, लेकिन नमाज़े दूगाना बनफ़से नफ़ीस खूद आप (अ.स.) ने काहा और फ़राह मुबारक में पढ़ाई है, जानशीने मेहदी मौऊद (अ.स.) ही इस नमाज़ को पढ़ाने के मजाज़ है, बाज़ दायरों में मुर्शिद की इजाज़त याफ़्ता शरूख़ भी दूगाना पढ़ाता है।

(१०) सवियत देना : राहे ख़ुदा में मुर्शिद के पास कुछ नक़द व जिन्स या त्आम आ जाए तो मुर्शिद इस को सब लोगों में मसावी तौर पर तक्सीम फ़रमा देते हैं, या किसी को ज़रूरत के लिहाज़ से उस को थोड़ी मिक्दार बढ़कर इनायत फ़रमा देते हैं, उस को सवियत कहा जाता है।

(११) इज्मा : मज़हबी मुआमलात में कोई तब्दीली या ख़राबी पैदा हो चली हो तो मुर्शिद इज्मा तलब करते हैं और मुर्शिदीन जमा हो कर इस मसले का हल निकालते हैं। इज्मा के एलान के बाद शिरकत ज़रूरी हो जाती है। इज्मा में (बिला उद्द) अदमे शिरकत मुनाफ़िक़त की तारीफ़ में आती है। इस के इलावा भी इज्मा लफ़ज़ सुनने में आता है। इज्मा बहरेआम के दिन सुब्ह में मुनअकिद होता है, मुरीदिन व अकीदतमंद हज़रात सरों पर पानी या लकड़ी ले जा कर मुर्शिद के घर में उतारते हैं और नानरेजा की तक्सीम का अमल जिस दायरे में होता है, वहां से नानरेजा ले कर आते हैं। इस हाज़री से मुरीद की अना दूर होती है। वह सब के बराबर शरीक होता है और उस को फ़ैज़ भी मिलता है।

(१२) नौबत बैठना या नौबत जागना : रात के एक पहर यानी तीन (३) घंटे अल्लाह के ज़िक्र मे क़ैदे नशिस्त के साथ बैठकर ज़िक्र करते रहना नौबत कहेलाता है। मुर्शिदीन नौबत की नशिस्तों की निगरानी भी फ़रमाते थे। अब भी किसी जगह तीन फ़ुकरा-ए-किराम जमा हों, तो नौबत जागी जा सकती है, यानी ज़िक्र में बैठा जा सकता है।

(१३) बहरेआम करना : किसी साहिबे फ़ैज की यादगार के तौर पर

उस साहिबे फ़ैज का मआसरिया जानशीन कोई शै अज़् किस्म गिज़ा-मसावी तौर पर अपनी सोहबत में रहने वाले तालीबान-ए-ख़ुदा और अपने ख़ास व आम मुरीदों में तक्सीम करता है, यह अमल बहरेआम कहेलाता है-जो वाजिबाते तरीकत से है (यानी तरीकत में वाजिब है) और इज़हारे विलायत के लवाजम से है-जो अहदे नबुव्वत में (आम) नहीं था। पस, जब कभी किसी दायरे का मुर्शिद-अपनी सोहबत में रहने वाले तालिबाने ख़ुदा को किसी बुजुर्ग के बहरेआम के लिए पानी और लकड़ी फ़राहम करने के लिए इज्मा का हुक्म दे, तो यह इज्मा उस दायरे के तमाम तालीबाने ख़ुदा पर फ़र्ज होता है और इस की शिरकत से बिला उज़्र बाज़ रहने वाला फ़कीर मुनाफ़िक़ करार पाता है और ऐसे इज्माओं में दायरे के बाहर या क़रीब रहने वाले दुन्यादार मुवाफ़िक़ीन भी अज़् राहे सआदतमंदी शरीक होते आए हैं।

[रिसाला नाफ़िआ, हज़रत पीर व मुर्शिद सैयद ख़ुदाबख़्स साहब रशदी (रह.) किब्ला]

नोट : बहरेआम का मुबारक सिलसिला उम्मुल मुसद्दिकीन बीबी इल्हादीती (रज़ी.) की बहरेआम से शुरू हुवा है।

*दौरै नबुव्वत में बहरेआम की नौइय्यत उमूमी नहीं थी। वाक्किआ यूं है कि हज़रत अबू हुरेरा (रज़ी.) ने अर्ज किया कि, 'मुजे कोई बात याद नहीं रहेती।' इस पर हुजूर (स.अ.व.) ने हुक्म दीया कि, 'अपना दामन पसारो।' इस के बाद हुजूरे अकरम (स.अ.व.) ने अपने दस्त मुबारक से तीन बार हज़रत (रज़ी.) के दामन में फ़ैज तक्सीम फ़रमाया। यह एक ख़ुसूसी वाक्किआ है।

(१४) नमाज़े तहज्जुद गुजारना : मुर्शिद ख़ुद नमाज़ तहज्जुद पढ़ते हैं। नमाज़े तहज्जुद से विलायत का फ़ैज मिलता है, यह नमाज़ निहायत छुपाकर पढ़ी जाती है, जिस के बाद फ़ज़्र तक ज़िक्र में मसरूफ़ रहेते हैं, फ़ज़्र से पहले सोते नहीं हैं। नमाज़े तहज्जुद खड़े हो कर अदा की जाती है। हमारे यहां तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त अगर मुरीद तलब करे तो मुर्शिद उस की क़ाबिलियत,

पाबंदी और ज़रफ़ वगैरा को देखकर इजाज़त देते हैं, वर्ना मना फ़रमा देते हैं, चूं कि यह नमाज़ खास नमाज़ है। एक बार शुरू करें तो हमेशा पढ़नी लाज़िम है। कुछ दिन पढ़ने के बाद बंद कर दें, तो नुकसान होता है। हज़रत मेहदी-ए-मौऊद (अ.स.) ने फ़रमाचूँ किया है कि, 'तहज्जुद (पढ़ने) से विलायत का फ़ैज़ मिलता है।'

अफ़आले इर्शादी का बयान ख़त्म हुआ।

◆ अल्लाह दिया :

गिरोहे मुकद्दसा में जब किसी को कोई लिल्लाह नक़द या जिन्स दिया जाता है, तो अल्लाह दिया कहकर देते हैं। इतना कहेने से देने वाले की हस्ती हट जाती है और ख़ुदा पर नज़र जाती है और लेने वाले की नज़र ख़ुदा पर जाती है कि "ख़ुदा ने मुझे अता फ़रमाया" और कोई शर्मिन्दगी नहीं होती, अल्लाह दिया कहेने से माल में पाकी आ जाती है।

◆ उम्मुल मुसद्दिकीन :

हुज़ूर मेहदी-ए-मौऊद (अ.स.) की ज़वज-ए-मुतहर्रा के लिए उम्मुल मुसद्दिकीन कहा जाता है, यानी "मुसद्दिकों की माँ"। अगर उम्हातुल मुसद्दिकीन बोला जाए, तो इस का मतलब है "मुसद्दिकीन की माएँ"।

◆ अहले फ़राग :

वह मुसद्दिक-जो अपने पास मौजूद रूपए ले कर दायरे को आते हैं, उन को अहले फ़राग या ग़नी कहेने की ताकीद है।

◆ बिना तर्क मरने वाला :

वह मुसद्दिक-जो तर्क दुन्या कीए बग़ैर इन्तेक़ाल कर जाए, तो उस को बे-तर्क इन्तेक़ाल करने वाले से मौसूम कीया जाता है। गुज़िस्ता यह तरीक़ा रहा कि बे-तर्क मरने वाले को मुर्शिद या तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते थे, या

मुस्तेखाक देते थे। यानी कोई एक अमल किया जाता था। इस से मैयत के लवाहिकीन और तमाम मुसद्दिकीन पर यह असर होता था कि वह मरने से पहले तर्क दुन्या करने की फ़िक्र में रहते और तर्क दुन्या कर लिया करते। हज़रत मेहदी-ए-मौऊद (अ.स.) ने “वरा-ए-तर्क दुन्या ईमान नीशत” फ़रमाया है।

हज़रत खातिम कार आख़िर हाकिम (रह.) ने फ़रमाया कि, ‘जिसने दुन्या को तर्क नहीं किया उस ने हज़रत मेहदी-ए-मौऊद (अ.स.) के दीन को तर्क किया।’

तर्क दुन्या मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज है। अल्लाह हम सब को तर्क दुन्या की तौफ़ीक़ दे। आमीन...

◆ बंदगीमियां :

यह लफ़्ज़ बहुत अहमियत का हामिल है। बंदगी का मतलब खुदा-ए-त्आला के रूबरू कामिल सुपुर्दगी। इसलिए बुजुर्गों के एक ख़ास तबक्के तक यह लफ़्ज़ महदूद है। बंदगीमियां का लफ़्ज़ इन बुजुर्गों के लिए ख़ास है। मसलन, सहाबा-ए-किराम, ताबईन, तबे ताबईन, रज़ी अल्लाहु त्आला अन्हुम और रहमतुल्लाहि अलयहीम अजमईन। बाद के दौर के बुजुर्गों के लिए लफ़्ज़ “मियां” बोला और लिखा जाता है। हज़रत बंदगीमियां सैयद खूंदमीर सिद्दीके विलायत (रज़ी.) के लिए लफ़्ज़ “बंदगीमियां” बोला और लिखा जाता है, “या बंदगीमियां” कहेने से बलिय्यात दूर हो जाती है।

◆ बंदगीमीरां :

यह लफ़्ज़ हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) के लिए बोला और लिखा जाता है और आप (अ.स.) की औलाद व अमजाद के लिए-जो सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन के ज़ुमेरे में आते हैं। बाद के बुजुर्गों के लिए लफ़्ज़ “मियां” बोला और लिखा जाता है।

◆ बोला-चाला मुआफ़ करवाना :

गिरोहे मेहदविया का यह ख़ास तरीक़ा है कि हर साल माहे मुहर्म्म अल् हराम की (१०) तारीख को सुब्ह नमाज़े फ़ज़ के बाद-लोग एक दूसरे से मिलकर अपना बोला-चाला मुआफ़ करवाया करते हैं, जिस की वजह से दिलो की कूदूरतें, रंजिशें दूर हो कर आपस में एक दूसरे से सब का दिल साफ़ हो जाता है।

रिवायते मशहूर से साबित है कि हज़रत इमाम हुसैन (रज़ी.) जब दसवीं मुहर्म्म को करबला में ज़ालीमों को जहन्नम रसीद करने के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे, तो अपने सब साथियों से और अहलो-अयाल से अपना बोला-चाला मुआफ़ करवा लिया था, क्योंकि आप (रज़ी.) को वापस लौटने से बढ़कर अपनी शहादत का यकीन था। पस, हज़रत इमाम हुसैन (रज़ी.) की शहादत के बाद से इस शहादते अज़ीमा की याद में अहले बैत के सब घरानों में हर साल दसवीं मुहर्म्म को बोला-चाला मुआफ़ कराने का अमल राईज है। फिर आगे चलकर बहुत से घरानों में मतरूक हो गया था। (यानी इस अमल का चलन बंद हो गया था।) इस अमल को यानी हज़रत मीरां (अ.स.) ने ब-हुक्मे खुदा बरकरार रखा। और बाज़ अहादीस से यह अम्र ज़ाहिर है कि क़यामत यौमे आशूरा-यानी मुहर्म्म की दसवीं तारीख को होगी। क्या मालुम के अब जो आशूरा आने वाला है मुमकीन है कि वही क़यामत का दिन हो! पस, अहले ईमान उस वक़्त रहें भी, तो उन का आपस में एक दूसरे से साफ़ दिल हो कर रहना ही बहेतर है।

[चिराग दीन-ए-मेहदी (अ.स.), मुसन्नौफ़: हज़रत ख़ुदा बख़्श रशदी (रह.)]

ख़ुदा ने दिल जैसा ज़र्फ़ यानी बर्तन और कोई नहीं बनाया। मुसद्दिक का दिल तो इश्के इलाही और यादे इलाही कारशदी मस्कन होता है। इस में न तो ख़ुदा से ग़ाफ़िल करनेवाली किसी की चाहत समा सकती है और ना ही ग़ैर

की नफ़रत या कुदूरत जगा पाती है। अगर हज़रत इमाम हुसैन (रज़ी.) की इस मुबारक रविश पर अमल हो गया और हम ने सब को मुआफ़ कर दिया और सब ने हम को मुआफ़ कर दिया, तो दिल अपनी असली हालत पर होता है कि इश्के इलाही और यादे इलाही के सिवा इस दिल में और कोई चीज़ नहीं समा सकती। दसवीं मुहर्म्म की इस Spirit और ज़ब्बे को साल भर-बल्कि हर रोज़ दोहराते रहना और अमल करते रहना चाहिए कि दिल बे-जा मुहब्बतों और कुदूरतों से पाक रहे और मसरूफ़े ज़िक्रुल्लाह रहे।

◆ भाई कालू और भाई लालू:

हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) के दायरे में एक जिन्न कुत्ते की शकल में थे। उन को “भाई कालू” कहा जाता था। वह ज़िक्रुल्लाह के अवक़ात में रोटी डालने पर नहीं खाते थे।

हज़रत सानी-ए-मेहदी (रज़ी.) के दायरे में मौजूद एक कुत्ते को “भाई लालू” कहा जाता था।

◆ बे-इख़्तियारी:

हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) ने फ़रमाया, ‘इख़्तियार बुरा है, बे-इख़्तियारी रहो। बे-इख़्तियार रहने से हमेशा ज़ाते मौला पर नज़र रहेती है। हर अता या मना के वक़्त ज़ाते मौला ही पर निगाह जाती है। बे-इख़्तियारी से रज़ा हासिल होती है, जो सब्र से आगे का मक़ाम है।’

◆ बीनाई:

बीनाई से मुराद अल्लाह त्आला का दीदार है-जो अल्लाह त्आला को देखे “बीना” कहेलाता है और जो अल्लाह त्आला को इस दारे दुन्या में देखने का काईल न हो (जब काईल ही न होगा तो फ़िर) दीदार से महरूम ही रहेगा। ऐसे ही शख्स को “नाबीना” कहेते है। कुरआन मजीद में आया है-‘जो इस दुन्या में अंधा है, वह आखिरत में अंधा और ज़्यादा गुमराह है।’ हज़रत मेहदी

अलैहिस्सलाम का इर्शाद है कि “तस्दीक़-ए-बंदा बीनाई-ए-ख़ुदा” है।

◆ पसखूर्दा:

साहिबे इर्शाद पसखूर्दा देते हैं। पानी पर तीन बार दम कर के और इस को हर बार पीते हैं और इस के बाद देते हैं, पसखूर्दे की तासीर से अमराजे रूहानी और अमराजे जिस्मानी का इलाज हो जाता है। कामिल मुर्शिद हो, तो पानी जल्द असर करता है।

◆ पगड़ी और अंगरखा:

हमारे मुर्शिदीन का पहनावा हुवा करता था। अब भी बाज़ मुर्शिदीन-ए-किराम पगड़ी और अंगरखा में मलबूस रहेते हैं। इस की अपनी एक शान होती है। खास तौर पर ग़ैर मेहदवी फ़ौरी समझा जाता है कि यह मेहदवी फ़कीर है-मुर्शिद है। बुजुर्गों की तकलीद में यह पहनावा जारी रहना चाहिए, जिस की वजह से ख़ूद इहतिसाबी का हर वक़्त ख़्याल रहेता है।

◆ पीर:

अल्लाह त्आला का इर्शाद है-“इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) की और उन की-जो तुम में अव्वलुल् अम्र बनाए गए हैं।” अव्वलुल् अम्र से मुराद यहां पीर ही होता है। यह बात याद रखने की है कि जिस का कोई पीर नहीं उस का पीर शैतान होता है, लिहाज़ा पीर का दामन थामना ज़रूरी है। हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि, ‘जिस तरह नबी अपनी उम्मत के लिए है, उस तरह शैख़ अपने मुरीदों के लिए है।’ (हवाले के लिए देखिए हज़रत ख़्वाजा बंदानवाज़ (रह.) की किताब “रूहे तसव्वुफ़”) पीर कामिल हो, तो मुरीद को अल्लाह के अवाम्र पर चलाता है और नवाही से रोकता है। हम जिंदगी के हर मुआमले में मेयार को मलहूज रखते हैं। मसलन्, उम्दा मद्रसा, आला किस्म की ख़ूराक, पोशाक, चोटी का डॉक्टर व हकीम, चोटी का वकील। इस तरह पीर भी कामिल हो।

जैसा के आप ने ऊपर पढ़ा पीर दीनी रहेबर होता है-जो खूद अल्लाह त्आला के हुक्म पर अमल करता है और जिस बात से अल्लाह त्आला ने मना फ़रमाया है, वैसा अमल नहीं करता। पीर कामिल हो तो मुरीदीन के लिए बड़ी मदद मिलती है। पीर को अपनी इस्लाह के लिए बुजुर्गों के उसूह पर चलना जरूरी है।

मसलन्, हज़रत अबुबकर सिद्दीक (रज़ी.) ने फ़रमा दीया था कि, 'ऐ लोगो उस वक़्त तक मेरी पैरवी करो, जब तक मैं राहे रास्त पर चलूँ।'

हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) जैसे बा-जबरूत खलीफ़ा को कई बार टोका गया था, यानी एहतेसाब किया गया था।

दौरे विलायत में आइए। हज़रत सानी-ए-मेहदी (रज़ी.), हज़रत बंदगीमियां (रज़ी.) और हज़रत शाह नेअमत (रज़ी.) ने लोगों से फ़रमाया था, 'अगर हम में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ़ अमल पाओ तो हम को टोको।'

हदीस शरीफ़ में आया है कि "मोमीन, मोमीन का आईना होता है।" इस लिहाज से बिरादरान-ए-दीनी आपस में एक दूसरे को टोकते रहे, तो इस से इस्लाह हो जाती है और इस इस्लाह की वजह से बुराईयों में कमी और ख़ैर में इज़ाफ़ा होता चला जाता है। टोकने से पहले इस बात को मलहूज रखा जाए कि हमारा टोकना ख़ालिस अल्लाह वास्ते हो और भरे मज्मे में किसी को न टोका जाए, बल्कि इन्तहाई अदब के साथ तन्हाई में टोका जाए।

◆ पैश रू और पस रू:

हज़रत इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, 'जो शख्स दिन के अगले हीस्से में हिजरत कर के दायरे में आया, वह मुर्शिद है उस शख्स का-जो उस को देखकर हिजरत कर के असर के वक़्त दायरे में आया।' (अगला पैश रू है और पिछला यानी बाद आने वाला पस रू)

◆ तारिकुद्दुन्या :

जो शरख्स (मुसद्दिक) अल्लाह त्आला के दीदार के लिए दुन्या को तर्क कर देता है, उस को तारिकुद्दुन्या फ़कीर कहा जाता है। तर्के दुन्या कर देने के बाद लाज़िम हो जाता है कि तारीकुद्दुन्या हज़रत फ़राइज़े वाजिबात (शरीअत व तरीक़त दोनों की) पाबंदी करें, तब्दीली-ए-लिबास करें, ग़ैर की सोहबत से इज्तनाब करें। तर्के दुन्या-जो हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात या फ़राइज़े विलायत का पहेला रुकन है, उस की बरकतें बहुत होती है। चुनांचे सख़्त व ला-इलाज मर्ज़ में मुब्तला शरख्स-तर्क के बाद अच्छा हो जाता है, मुआशी परेशानियां दूर हो जाती है और ग़ैब से अल्लाह मदद फ़रमाता है। रूहानी तौर पर भी तरक्की शुरू हो जाती है। इन बरकतों की समझ तर्के दुन्या के बाद ही आती है। जिस तरह किनारे पर ठहेरने वाला- तैरने वाले की तरह तैरागी के रमुज से वाकिफ़ नहीं हो सकता, उसी तरह फ़कीरी के रमुज जानना हो, तो फ़कीर या तारीकुद्दुन्या होना पड़ता है। तब ही असरारे तर्के दुन्या इस पर खुलते है।

◆ ताज सरमा अस्त :

फ़राह मुबारक में जब हज़रत बंदगी मीरां सैयद अब्दुल हई रोशन मुनव्वर (रज़ी.) की विलादत हुई, हज़रत सानी-ए-मेहदी (रज़ी.) अपने इन फ़रज़ंद को हज़रत इमामुना अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में लाए थे। उस वक़्त हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, “औलादे भाई सैयद मेहमूद ताज सरमा अस्त।” यानी भाई सैयद मेहमूद की औलाद हमारे सर का ताज है। हज़रत रोशन मुनव्वर की पैदाईश के वक़्त हज़रत सानी-ए-मेहदी (रज़ी.) ने ख़िदमते इमामुना अलैहिस्सलाम में अर्ज़ किया कि, ‘इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए?’ हज़रत इमामुना अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ‘सैयद अब्दुल हई या सैयद याकूब रखो।’ हज़रत सानी-ए-मेहदी (रज़ी.) ने यह ख़्याल फ़रमा लिया

कि, 'यह दूसरे फ़रज़द की बिशारत है, चुनांचे हज़रत बंदगी मीरां सैयद याकूब हसन-ए-विलायत (रज़ी.) मुबश्शिर मेहदी अलैहिस्सलाम है।' आप (रज़ी.) की यह शान हुई कि अल्लाह त्आला की तरफ़ से आप को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मक़ाम मिला और आप को मुआमले में दिखलाया गया कि आप की दुख़रान भी रूहानी तौर पर अपने भाईयों के मसावी है।

◆ तरबियत :

जब कोई मुसद्दिक किसी मुर्शिद के हां मुरीद होने के लिए आता है, तो उस को तरबियत होना भी कहते हैं। तरबियत के वक़्त मुर्शिद उस को कल्मा ईमान-ए-मुफ़स्सिल व ईमान-ए-मुजम्मिल पढ़ाते हैं। तरीक़ा-ए-ज़िक़ बताते हैं और सिलसिला-ए-तरबियत (जो इन मुर्शिद से मेहदी मौऊद (अ.स.) तक जाता है) पढ़ाते हैं, इस को याद रखने से मुरीद को फ़ायदा पहुंचता है। तरबियत होना या मुरीद होना-एक ही है।

◆ तर्कें तदबीर :

तारिकुद्दुन्या, माल व मआश के लिए कोई तदबीर नहीं करता, जिस को तर्कें तदबीर कहते हैं।

◆ तस्मिया ख़्वानी (यानी बिस्मिल्लाह पढ़ाना) :

जब हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक चार साल, चार माह और चार दिन की हुई, तो हज़रत के वालिद मियां सैयद अब्दुल्लाह (रह.) ने दावत की तैयारी की और हज़रत मख़्दूम शैख़ दानियाल (रह.) ने इमामुना को बिस्मिल्लाह पढ़ाई। "आमीन" कहेने के लिए ख़ुदा के हुक्म पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्मिया ख़्वानी के इस मुबारक अमल पर आज भी अमल जारी है। गिरोहे मुक़द्दसा ही में सूरह फ़ातिहा पढ़ाते हैं, उस के बाद ही कुरआन शरीफ़ की तालीम शुरू की जाती है। बच्चा हो या बच्ची-तस्मिया ख़्वानी के बाद

मद्रसे को भिजवाया जाए, तो मासूम बच्चे या बच्ची इल्म का बोझ बर्दाश्त करने के क़ाबिल हो जाते हैं। इस से पहले तालीम दी जाए तो मासूम ज़हन पर बार होता है।

◆ तस्वियत:

तस्वियत-बराबरी को कहते हैं। तस्वियत का लफ़्ज़ जब ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाए, तो इस का मतलब हुज़ूर पुरनूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम और हुज़ूर पुरनूर मीरां सैयद मुहम्मद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकम्मल बराबरी है। तस्वियत ख़ातिमैन की बात ना सिर्फ़ गिरोहे मुकद्दसा में मुरव्वज (राइज किया गया) है, बल्कि इमामुना अलैहिस्सलाम के पहले के अकाबरीन अहले सुन्नत-मसलन्, हज़रत अल्लामा इब्ने सिरिन (रह.), हज़रत शैख़ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी (रह.) (मुबशिशर ब पहलवान-ए-दीन) वगैरा तस्वियते ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम के क़ाईल थे। ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम के दरमियान तो बाल बराबर का फ़र्क़ न जानना ज़रूरी है। तस्वियत का लफ़्ज़ जब सैयदेन (रज़ी.) के लिए कहा जाए, तो इस का मतलब हज़रत बंदगी मीरां सैयद मेहमूद सानी-ए-मेहदी (रज़ी.) और हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ुंदमीर सिद्दीके विलायत बदले ज़ात-ए-मेहदी (रज़ी.) के दरमियान मुकम्मल बराबरी है। हर दो ज़ात में तस्वियत और बराबरी में बाल बराबर का फ़र्क़ न जानना चाहिए। तस्वियत के मामले में हज़रत बंदगी मलिक इल्हादाद खलीफ़ा-ए-गिरोह (रज़ी.) का यह इशदि गिरामी है कि, “ख़ुदा के हुक्म से ख़ातिमैन (अ.स.) बराबर और मेहदी (अ.स.) के हुक्म से सैयदेन (रज़ी.) बराबर हैं।” मुसद्दिक़ जब इतना जानकर और मानकर ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ हो जाता है, तो इस से उस का ही भला होता है। और अगर कोई इस से हटकर बात करे या सुने तो लाज़िमन उस मुसद्दिक़ का वक्त्त ज़ाया होगा और वह ज़िक्रे ख़ुदा से शाफ़िल हो जाएगा,

बल्कि खुदा से दूर हो जाएगा।

◆ तअय्युन (मुकर्रर किया गया):

हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने तअय्युन को लईन फ़रमाया है। हमारा यह मुकद्दस गिरोह मुतवक्किलीन का गिरोह है। यहां पर मुतवक्किल यानी तारिकुदुन्या हजरात सिर्फ़ अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। कोई बंधी हुई, मुकर्रराह या मुअय्यन आमदनी शाने तवक्कल के खिलाफ़ है। इसलिए तअय्युन को लईन(मरदूद, दोज़खी) फ़रमाया है। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने मुन्करों के ताल्लुक से फ़रमाया कि, 'यहां तअय्युन ना होने से यह लोग नहीं आते। अगर तअय्युन होता तो ज़रूर आते और मेहदवी होते।' बहरहाल, तअय्युन तवक्कल की जीद(खिलाफ़) है। इसलिए मुकर्रराह और बंधी हुई आमदनी हमारे पास फ़ुकरा-ए-किराम के लिए ममू है। तअय्युन की वजह से दरजात घटते हैं और परवाज़ में कोताही आ जाती है। इसलिए मुतवक्किलीन तअय्युन को सख्त नापसंद फ़रमाते हैं।

◆ जमाअत ख़ाना:

बुजुर्गाने दीन-जो हिजरत में रहा करते थे, जहां कहीं क्रियाम रहता वहां पर मस्जिद की तामीर के बजाए जमाअत ख़ाना बनाते थे। ता कि बंदगाने खुदा उस जगह रहकर नमाज़ और ज़िक्र की पाबंदी कर सकें।

◆ हुजरा:

मस्जिद से मुत्तसिल (करीब) या मस्जिद से बाहर एक कमरा होता है, जो हुजरा कहलाता है। इस में मुर्शिद बाद अदाई नमाज़ और बाद अदाई ज़िक्र-मस्जिद से इस हुजरे में आ जाते हैं। कुछ आराम भी फ़रमा लेते हैं और आने वाले मुलाक़ातियों से मुलाक़ात भी कर लेते हैं व नीज़ मुर्शिद का ख़ाना-पीना भी इसी हुजरे में रहेता है।

◆ हुदूदे कसब:

हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने उन मुसद्दिकीन के लिए जिन्होंने अभी तर्क दुन्या नहीं की और हालते कसब में हैं, उन के लिए दस (१०) हुदूदे कसब मुकर्रर फ़रमाए हैं।

१) कसब करे, कसब पर नज़र ना करे : यानी जिस ज़रिए से आमदनी हो-यह ख्याल ना करे कि अगर यह ज़रिया ख़त्म हो जाए तो कैसा होगा और मैं और मेरे घर वाले क्या खाएंगे? बल्कि, अल्लाह की अता पर नज़र रखें, क्यूंकि अगर यह ज़रिया छूट जाए तो अल्लाह त्आला दूसरे ज़रिए से उस को रिज़क देगा।

२) पांच वक़्त की नमाज़ बा-जमाअत अदा करे : यानी नमाज़े पंचगाना अपनी मस्जिद में, अपने इमाम की इक्तिदा में जमाअत से अदा करे। नौकरी, कारोबार या और कोई ज़रिया मईशत हो-नमाज़ के लिए छोड़कर आ जाए और नमाज़ के बाद फिर उस काम में मशगूल हो जाए। जमाअत की नमाज़ कासिब के लिए ज़रूरी है।

३) हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करे : यानी चलते, फिरते, उठते, बैठते-कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करे, ग़फलत ना आने दे।

४) हिर्स ना करे। थोड़ी सी ग़िज़ा और सतरे औरत पर इक्तिफा (काफ़ी) करे : यानी कासिब के लिए हिर्स नामुनासिब है। सिर्फ़ जाइज़ और अक्ले हलाल (खाना, गीज़ा) की जुस्तजू करे और हुदूद की पाबंदी करता रहे।

५) पूरा उश्र ख़ुदा की राह में दे : आमदनी जाइज़ हो और उस का दसवां हिस्सा उश्र होता है। मसलन, सौ रुपए कमाए हों, तो दस रुपए राहे ख़ुदा में दें। इस तरह पूरी कमाई पाक हो जाती है और ख़ुदा-ए-त्आला उस की बरकत से नुक़सान से और परेशानियों से बचाता है। उश्र अदा करने वाले के दिल से दुन्या की और माल की मुहब्बत दूर हो जाती है-जो बहुत बड़ी कामियाबी है।

६) तालिबाने ख़ुदा की सोहबत में रहे : तालिबाने ख़ुदा की सोहबत में

रहने से हमेशा अल्लाह त्आला की याद आती है और सच्ची तलब और सच्चा इश्क का-सब को आइन्दा दिनों के लिए, यानी फ़कीरी के लिए मददगार होते हैं।

७) हमेशा अपनी ज़ात पर मलामत करे : हर शख्स को सब से ज़िआदा अपनी ज़ात से मुहब्बत होती है और ज़ात की मुहब्बत से ख़ुदा की मुहब्बत नहीं पैदा हो सकती। जब ज़ात पर मलामत करेगा, तो ख़ुद से कराहियत आएगी और ख़ुदा का फ़ज़ल हो, तो ख़ुदा की मुहब्बत उस के दिल में जागर्जी हो जाएगी।

८) हर दो वक़्त की हिफाज़त करे : यानी नमाज़े फज़ के बाद तुलू आफ़ताब तक और असर की नमाज़ के बाद इशा तक-अल्लाह का ज़िक्र करे। (बा-जमाअत और मुसल्ले पर बैठकर।)

९) अज़ान के बाद काम करना जाइज़ नहीं। अगर काम करे तो वह कसब हराम है।

१०) ज़बान से झूठ ना कहे। जो कुछ कुरआन में आया है, सब पर अमल करे। ममूआत से परहेज़ करे।

◆ हज़ीरा:

गिरोहे मुकद्दसा में कब्रस्तान नहीं कहा जाता, बल्कि हज़ीरा कहा जाता है। हज़ीरे के सुल्तान होते हैं-जो अपने वक़्त के कामिल तरीन बुजुर्ग हुवा करते थे। उन पर अल्लाह त्आला का इन्आम, फ़ज़ल और नूर-हर रोज़ जारी रहते हैं और यह इन्आम, फ़ज़ल और नूर-मदफून हज़रात को भी मिल जाते हैं और जिकुल्लाह की मुदावमत (हमेशगी) हमारे हज़ीरों का ख़ासा है। इसलिए मेहदवी कहीं दूर भी रहे, उस की तमन्ना रहती है कि अपने उन बुजुर्गों के क़दमों में यानी हज़ीरे में उस को जगह मिले, उस की तदफ़ीन की जाए।

◆ ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम:

खातिमैन अलैहिस्सलाम से मुराद हुजूर पुरनूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हुजूर पुरनूर मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। दोनों हस्तियां सूरत में, सीरत में, खल्क में, सब्र में, दावत में-गरज हर मुआमले में यक्सां शान वाली और हु-बहु हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं। हर दो खातिमैन अलैहिस्सलाम मसावी अल् मरतबा हैं। बाल के बराबर भी फ़र्क नहीं है। तस्वियते खातिमैन हक़ है। कोई इफ़रात व तफ़रीत (जियादती या कमी) नहीं है।

◆ खातूने विलायत (रज़ी.):

मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की दुख्तर बीबी खूंजा फ़ातिमा रज़ीअल्ल्लाहु अन्हा को “खातूने जन्नते विलायत” या “खातूने विलायत” कहा जाता है। आप (रज़ी.) हज़रत बंदगीमियां सैयद खूंदमीर सिद्दीके विलायत (रज़ी.) की ज़ौजा मोहतरमा हैं और हज़रत बंदगीमियां सैयद मेहमूद सैदनजी खातेमूल मुर्शिदीन (रज़ी.) की वालिदा माजिदा हैं। आप (रज़ी.) का मदफन खांबेल शरीफ़ में है।

◆ खादिम:

पीर के साथ खादिम होता है। जो कोई मुसद्दिक़ अपने आप को गिरोहे मुक़द्दसा के किसी पीर के साथ जोड़ लेता है यानी मुरीद हो जाता है, तो खुद को खादिम कहता है। यानी ख़िदमत करने वाला और हुक्म बजा लाने वाला। खुद को खादिम कहेना तो नेस्ती व आजिज़ी की दलील है। मुर्शिदीन कि तरफ़ से भी मुरीदीन के लिए खादिमीन या ख़िदमा बोला जाता रहा है या मुरीदीन भी बोला जाता है। खादिम जब बैअत हो जाता है, तो इस का मतलब वह पीर के हाथ पर बिक जाता है।

◆ ख़ुदा तलबी:

हुजूर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुसद्दिक़ीन को ख़ुदा की तलब

रखने की तालीम फ़रमाई है। चुनांचे फ़रमाया, “तालिबे मौला मुजक्कर” यानी खुदा का तालिब मर्द है। खुदा की तलब में कोई खातून सच्ची और सादिक़ है, तो उस का मरतबा मर्द से कम नहीं है। तालिबाने खुदा, खुदा तलबी की बदौलत दुन्या से किनाराकश रहते हैं और अपनी हस्ती को हीच समझते हैं।

◆ ख़ुदा-ए-तआला की राह के हिजाबात (पर्दे):

हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ‘ख़ुदा-ए-तआला की राह के चार हिजाबात हैं...

१) दुन्या, २) खल्क, ३) नफ़्स, ४) शैतान’

चूं कि दो इस के इख्तियार में हैं-यानी दुन्या व खल्क, इन को तर्क करे। नफ़्स और शैतान-इस के इख्तियार के बाहर हैं और उन को देख भी नहीं सकता, इसलिए उन से खुदा की पनाह मांगता रहे।

◆ ख़ुदी को खाना :

हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ‘फ़कीराने ख़ुदा ख़ुदी को खाते हैं।’

◆ ख़ुश्नूदी-ए-मुर्शिद :

मुर्शिद अगर मुरीद पर खुश्रूद हो, तो बरसहा बरस के बे-पीर इबादत गुजार के बरअक्स बहुत जल्द राहे मौला तक पहुंचा देता है। मुर्शिद की खुश्रूदी उस वक़्त हासिल होती है, जब मुरीद-इबादत, ज़िक्र व फ़िक्र करे और दरमियान में अपने आप को या अपने नफ़्स को न लाए। सख्त जद्दो-जहद कर के और मुर्शिद की बताई हुई बातों पर पूरे सच्चे दिल से अमल करें, तब ही खुश्रूदी-ए-मुर्शिद उस को हासिल होती है।

◆ ख़ुदांकार :

यह लफ़्ज़ ख़ुदावंदकार का मुखफ़फ़(तहकीक़ किया गया,घटाया

गया) है। साहिबे दायरा का यह लक़ब हुवा करता था, जो तमाम उमूर का सरबरा व मुख़ार होता। मेहदवियों में मशाईख, पीर, मुर्शिद और मुल्ला वग़ैरा अल्फ़ाज़ की गुंजाईश नहीं थी। रूहानी तकद्दुस और फ़र्द परस्ती की जगह ख़ूदकार जमाअत का ख़ादिम होता था। वह जुमला उमूर, मुआशी व मआशरती, अख़्लाकी, तालिमी, इक्त्तिसादी का जिम्मेदार व निगरां होता था। मेहदवी शिरका-ए-दायरा (दायरे में शरीक होने वाले) अपने रूहानी, मुआशी व मआशरती पेश्वा को “ख़ूदकार” (ख़ुदावंदकार) के नाम से मुखातिब करते थे। बंग्लादेश में भी मेहदवी रहते हैं। इस का पता इस बात से चलता है कि वहां के एक सदर मुल्तिकत का नाम ‘ख़ूदकार मुश्ताक़ अहमद’ भी था।

◆ दायरा:

गिरोहे मुक़द्दसा मेहदविया में दायरा-कांटों की उस बाढ़ को कहा जाता है, जिस में मुशिदि आली क़दर फ़ुकरा-ए-किराम, मुहाजिरीन के साथ हुदूद यानी शराईत व अहकामे दायरा की पाबंदी के साथ रहते थे, जो कि अहकाम व फ़राईजे विलायते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम के ऐन मुताबिक़ है।

इन दिनों दायरों का वह नज़म नहीं रहा। अब तो मुर्शिद की मस्जिद ही दायरे की एक झलक पेश करती है। लफ़ज़ दायरा-हज़ीरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

◆ दूरें:

मुरीदीन, मुर्शिदीन के पास आते और कबाईर (बड़े) व सगाईर (छोटे) गुनाहों का एतेराफ़ (क़बूल करना) करते। कबाईर पर मुर्शिद की तरफ़ से मुरीद को दूरें मारे जाते, ता कि गुनाह धूल जाएं और मुरीद आख़िरत के होने वाले अज़ाब से बच जाए। दूरें मारने की रिवायत भी गुज़िश्ता सदियों में रही थी।

◆ दिन दिहाड़े:

उमूमी तौर पर यही लफ़ज़ बोला जाता है। किसी के इन्तेक़ाल के बाद(के दिनों को) मसलन, तीसरा या चौथा, दसवां, बीसवां, चेहल्लुम-दिन दिहाड़े कहलाते हैं। इलावा अर्जी, सहमाही, शश्माही, नौमाही और बरसी कहे जाते हैं। दिन दिहाड़ो की इफ़ादियत(फ़ायदा) यही है कि इन मख़्सूस दिनों में ग़रीब-ग़ुरबा और रिश्तेदारों को मदू कर के खिलाया जाता है। जिस से मैयत को सवाब पहुंचता है और अज़ाब में कमी होती है।

◆दुन्या की मस्ती:

इमामुना अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया कि फलां शख्स शराब के नशे में चला आ रहा है। फ़रमाया, 'शराब की मस्ती एक घड़ी में उतर जाती है, यह तो क्या है...! बंदे के हुज़ूर मस्ताने दुन्या आते हैं और दुन्या की मस्ती छोड़कर चले जाते हैं।'

◆दूगाना तहिय्यतिल वुजू:

वुजू करने के बाद बिना किसी बात-चीत के दो रकात दूगाना अदा करना-यह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तक्लीद और इत्तेबा है। सज्दे में जा कर दुआ की जाती है। हम को इमामुना (अ.स.) की तालीम यह है कि खुदा को खुदा से मांगो। फ़र्ज नमाज़ों के बाद बाज़ लोग सज्दे में जा कर दुआ मांगते हैं- जो ग़लत है। सिर्फ़ दूगाना पढ़कर सज्दे में जा कर दुआ मांगी जाती है। मेहदवी नमाज़ के बाद हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगते हैं, क्योंकि इस की भी मुमानियत है। किसी फ़र्ज नमाज़ या सुन्नत के बाद सज्दे में नहीं जाना चाहिए। इस के बजाए सिर्फ़ दूगाना तहिय्यतिल वुजू पढ़कर ही सज्दे में जा कर दुआ मांगनी चाहिए।

◆दूगाना लैलतुल क़द़:

शबे क़द़ में खुसूसी तौर पर दो रकात दूगाना की जो नमाज़ हम पढ़ते हैं-वह फ़र्ज है और उस के तअय्युन का यक्कीन मेहदी मौऊद (अ.स.) के ज़रिए

से हम को हुवा। शबे क़द्र रमज़ानुल मुबारक की छब्बीसवीं और सत्ताईसवीं रमज़ान की दरमियानी रात है। शबे क़द्र हजार महीनों से बहेतर है। मेहदी मौऊद (अ.स.) के सदके और तुफैल से शबे क़द्र की क़त्अय्यत(यक़ीन) दुन्या को ज़ाहिर हुई और इस की बरकतें मुसदिक्कीन के हिस्से में हर साल आती हैं। जब कि ग़ैर मेहदवी इस रात की बरकतों से इन्कारे मेहदी (अ.स.) की वजह से महरूम रहते हैं।

◆ धूल या दूगाना :

अगर कोई मुसद्दिक़ बेतर्क मर जाए तो मुर्शिद उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते या मुश्तेखाक देते थे। दोनों अमल एक साथ नहीं किया करते थे। इस को हमारे यहां धूल और दूगाना से जाना जाता है। आज भी बाज़ दायरों में इस पर अमल जारी है।

◆ ज़ाकिरीन के मदारिज :

हज़रत इमामुना मीरां सैयद मुहम्मद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने आठ पहर के ज़ाकिर को मोमिन कामिल फ़रमाया। पांच पहर के ज़ाकिर को मोमिन नाक़िस(ग़ैर मुकम्मिल, ऐबदार), चार पहर के ज़ाकिर को मुश्रिक और तीन पहर के ज़ाकिर को मुनाफ़िक़ फ़रमाया है।

◆ ज़िक्रे ख़ुदा द्वामा :

यानी चौबीस घंटे अल्लाह का ज़िक़। इस ताल्लुक से इशदि बारी त्आला है, तर्जुमा :- खड़े, बैठे और लेटे हर हालत में ख़ुदा का ज़िक़ करो...(सूरह: निसा)। ज़िक्रे कसीर ही से ज़िक्रे दवाम हासिल होता है। इशदि बारी त्आला है, तर्जुमा :- ऐ मोमिनो...! ख़ुदा का ज़िक़ कसरत से करो और सुब्ह व शाम उस की तस्बीह बयान करते रहो। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, 'अल्लाह त्आला ज़िक्रे कसीर की बरकत से ज़िक्रे दवाम अता फ़रमाएगा।' तरतीबे ज़िक़ इस तरह बयान फ़रमाई है :

अव्वल फ़ज़्र ता ड़ेढ पहर दिन होने तक।

ज़ोहर से इशा तक यादे इलाही में बैठें।

और शब को एक पहर(तीन घंटे) नौबत में शरीक रहे।

◆ ज़िक्र-इन अवक़ात में भी :

हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, 'जो शख्स इन वक़्तों में खुदा को याद करे, खुदा-ए-त्आला उस के दिन और रात की बंदगी का अज़ज़ाया न करेगा...

१) अव्वल फ़ज़्र से दिन निकलने तक,

२) असर ता इशा,

३) खाते-पीते वक़्त,

४) बैतुलख़ला गए-जब भी,

५) वज़ीफ़ा-ए-ज़ौजियत के वक़्त,

६) सोते वक़्त।'

◆ ज़िक्रे ख़फ़ी:

हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ी.) और सहाबा रज़ीअल्लाहु अन्हुम्-ख़ैबर के जिहाद से वापस हुए तो कल्मा बुलंद आवाज़ से कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम ने ख़फ़ा हो कर फ़रमाया, 'तुम अपने दिलों की तरफ़ रुजू करो, क्यूंकि तुम नहीं पुकारते हो किसी बहरे को या ग़ायब को, बेशक तुम पुकारते हो उस को-जो सुनने वाला और करीब है और वह तुम्हारे साथ और करीब है।'

पूछा गया, 'या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम...! पसंदीदा ज़िक्र कौन सा है?' फ़रमाया, 'ज़िक्रे ख़फ़ी।'

(माख़ूज अज़् इन्साफ़नामा, हाशिया शरीफ़)

◆ ज़िक्र की ताकीद-कुरआनी आयात से :

हजरत सैयद याकूब सलीम साहब मर्हूम ने अपनी किताब “हिदायत” में उन आयतों को जमा फ़रमाया है, जो जिक्रुल्लाह के ताल्लुक से कुरआन मजीद में मज़कूर हैं। यहां दस आयात हैं, जिन में सात आयात वह हैं-जिन में रास्ते मुखातिब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम हैं।

(1)

وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

(7:205)

तर्जुमा : और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल से आजिजी और खौफ़ से और पस्त(नीचा) आवाज़ से सुबह व शाम याद करते रहो।

(2)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ

(18:28)

तर्जुमा : और जो लोग सुबह व शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं और उस के दीदार के तालिब हैं, वह चाहते हैं(उस का चहेरा) उन के साथ सब्र करते रहो।

नोट : ‘युरीदू-न-वज्हहू’ का तर्जुमा : वह चाहते हैं उस का चहेरा(यानी खुदा का दीदार)।

(3)

قَبَلْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبَلْ غُرُوبِهَا

(20:130)

इस आयत का मफ़हूम यह है कि सूरज निकलने से पहले(सुल्तानुन नहार) और सूरज गुरुब होने से पहले(सुल्तानुल लैल) अल्लाह की तस्बीह यानी ज़िक्र कीजिए।

नोट : खातिमैन अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में सब से बड़ी ख़ुशी ख़ुदा के दीदार से ही हासिल होती है।

(4)

حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

(30:17)

तर्जुमा : अल्लाह की तारीफ़ और तस्बीह करो, जिस वक़्त तुम को शाम हो और जिस वक़्त तुम को सुबह हो।

(5)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

(50:39)

तर्जुमा : जो कुछ यह कहते हैं, उस पर सब्र कीजिए। आफ़ताब के तुलू और ग़ुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह(जिक्रुल्लाह) कीजिए।

(6)

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

(73:8)

तर्जुमा : अपने परवरदिगार के नाम का ज़िक्र करो। इस तरह उस तरफ़ मुतवज्जह हो जाओ, हर तरफ़ से बे-ताल्लुक हो कर।

नोट : यानी सब से टूटकर ख़ुदा के हो जाओ।

(7)

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

(76:25)

तर्जुमा : अपने परवरदिगार के नाम का सुबह व शाम ज़िक्र करते रहो।

◆ तरतीब-ए-ज़िक्र :

अव्वल फ़ज़्र ता डेढ़ पहर दिन होने तक, ज़ोहर से इशा तक यादे इलाही में बैठे और शब को एक पहर (तीन घंटे) नौबत में शरीक रहे। हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ूंदमीर सिद्दीक़े विलायत (र.जी.) ने फ़रमाया, 'सालिकाने राहे हक़ व तालिबाने ज़ाते मुतलक ने ज़िक़े ख़फ़ी को सब अज़कार से अफ़ज़ल बताया है। क्यूंकि ज़िक़े ख़फ़ी और पासे अन्फ़ास के बग़ैर ज़ाकिर का वजूद रिया और ख़ूदबीनी से ना तो पाक हो सकता है और न ज़िक़े दवाम हासिल हो सकता है।'

ज़बान से ज़िक़ की मुमानिअत भी है, क्यूंकि यह आलमे नासूत (जहां भूल व ग़फलत की ज़्यादाती होती है) वालों का अमल है। ज़बान से ज़िक़ में ग़फलत का इम्कान ज़ियादा है। खाने-पीने, काम करने के वक़्त ग़फलत आ ही जाती है। ग़फलत से बचना हो तो तालिबे मौला के लिए, बल्कि सब के लिए ज़िक़े ख़फ़ी लाज़मी है।

◆ हदीसे लुद्सी :

१) जो मेरे ज़िक़ से मुंह फेरेगा उस के लिए तंग मईशत होगी और क़यामत के दिन हम उस को अंधा उठाएंगे।

२) मेरे गाफ़िलीन इन्स (इश्क़ व मुहब्बते इलाही से गाफ़िल रहने वाले) को मालूम होता कि मेरी ज़ात उन्हें ना मिलने से वह किस नेअमत से महरूम रहे-तो अपनी शह रगों को काट लेते। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, 'इश्के ख़ुदा ज़िक़ से हासिल होता है।'

◆ रुख़्सत :

हमें आलियात पर चलने का हुक्म-ए-मेहदी (अ.स.) है। रुख़्सतों को रुख़्सत ही कर देना चाहिए। आलियात का मतलब तक्वा है और मुत्क्रियों के ताल्लुक से कुरआन मजीद में कई बार आया है। रुख़्सत का मतलब फ़तवे पर

चलना। मेहदी मौऊद (अ.स.) ने फ़रमाया, 'आलियत पर क़दम रखो, फिसलें तो रुख़सत पर आ कर टिकेंगे। अगर रुख़सत पर क़दम रखो और फिसले, तो कहां जा कर रुकोगे?'

फ़र्ज़ कीजिए कि कपड़ों पर पानी के मामूली छींटें पड़ जाएं, तो नमाज़ पढ़ ली जा सकती है-यह फ़तवा है। लेकिन, तब़्का यह है के इन मामूली छींटों को भी धो लिया जाए।

◆ ज़र और ख़ाक बराबर होना :

यानी दिल से माल की मुहब्बत दूर हो जाना और सोना और मिट्टी दोनों हमारी नज़र में यक्सां हैसियत हो जाना, यानी हमारी नज़र में सोना अपनी क़द्र-क़ीमत खो कर मिट्टी के बराबर हो जाना। सवियत की तब़्सीम के वक़्त हज़रत बंदगीमियां सैयदना शाह क़ासिम मुज्जहेद गिरोह (रह.) ने कुर्ते की आस्तीन को हथेली पर ला लिया और सवियत हाथ में ली, ता कि दौलत हाथ को न लगे। वालिदे बुजुर्गवार हज़रत बंदगीमियां सैयदना यूसुफ़ बारा बनी इस्राइल (रह.) ने दरयाफ़्त फ़रमाया, 'क़ासिमजी...! इस तरह क्यूं लिए? जब कि मैं तो बिना आड़ के ही लेता हूं।' इस पर हज़रत शाह क़ासिम (रह.) ने जवाब में अर्ज़ किया, 'खूंदकार की नज़र में ज़र और ख़ाक बराबर हो गए हैं, जब कि बंदे की नज़र में अभी "ज़र" ज़र है और "ख़ाक" ख़ाक है।'

◆ साठी उम्र क़ज़ा :

जब तक नमाज़ और रोज़े की क़ज़ा की जा सकती है, उस वक़्त तक इन का कफ़़ारा अदा करना जाईज़ नहीं है। उम्र भर जो नमाज़ें या रोज़े छूट जाते हैं, उन की क़ज़ा आख़री उम्र तक करना जरूरी है। इन्तेक़ाल तक भी अगर नमाज़े और रोज़े क़ज़ा करने का मौक़ा न मिले और आइन्दा सेहतयाब हो कर क़ज़ा करने की उम्मीद नहीं है, तो इन के कफ़़ारा में हर नमाज़ के बदले एक फ़ितरा देना चाहिए। इसी तरह नमाज़े वितर और रोज़े का भी यही हुक्म है।

इमामे आजम (रह.) के पास अगर मैयत की वसियत मौजूद ना हो तो वारीसों पर कफ़ारा की अदाई वाजिब नहीं है। लेकिन मैयत के वारीसों की तरफ़ से कफ़ारात अदा करें तो जाईज है। अल्लाह ने चाहा तो मैयत अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होगी। इस के बर खिलाफ़ इमाम शाफ़ई (रह.) के पास मैयत की वसियत के बग़ैर भी वारीसों पर कफ़ारा अदा करना वाजिब है।

डेढ़ कीलो गेहूँ का एक फ़ितरा होता है और साठ फ़ितरों का एक कफ़ारा। इसलिए 90 कीलो गेहूँ का एक कफ़ारा हुवा।

कम से कम तीन कफ़ारे अदा कीए जाएं।

मिसाल के तौर पर आज गेहूँ की कीमत २० रुपए कीलो है, तो तीन कफ़ारों की अदाई के लिए (90) कीलो गेहूँ x (3)=(270) कीलो x (20) रुपए कीलो=5400 (पाँच हज़ार चार सौ रुपए)। गेहूँ या नक़द रकम फ़ुकराओं में ही तक्सीम कीए जाएं, जो अज़रू-ए-नस लाज़ीम है। {(१) देखीए उनवान : उश्र, सफ़हा-33}

मैयत साहिबे हैसियत थी, तो इस के मतरूका में से कफ़ारात अदा कीए जाएं और अगर मैयत साहिबे हैसियत नहीं थी और वारिस साहिबे हैसियत हो, तो इन को ज़रूर कफ़ारात अदा करना चाहिए। वर्ना मरने वाला तर्के नमाज़ व रोज़ा और अदम अदाई कफ़ारा पर इन्दुल्लाह माखूज होगा और अगर वारिस अदा कर दें, तो वह ख़ूद भी सवाब के मुस्तहक़ होंगे और मैयत भी कफ़ाराते वाजिबा की अदाई से सबकदोश अदम अदाई रोज़े व नमाज़ के मुआख़िजा से बरी और नजात व मग़फ़िरत की मुस्तहक़ होगी। इन्शा अल्लाह त्आला।

पस, क़ौमे मेहदविया में कुरआन मजीद या इस का हदिया और साठी वग़ैरा देने का जो तरीका-ए-क़दीम से जारी है-वह हस्बे एहकाम शरा शरीफ़

जरूरी, वाजिबुल अमल और एहकामे खुदा और रसूल के ऐन मुताबिक़ है।

(तल्ख़ीस : जवाबे इस्तफ़ता, अज़् हज़रत मौलाना सैयद नजमुद्दीन साहब क़िब्ला (रह.) अफ़ज़लुल उलमा। माहनामा नुरे हयात : मार्च व एप्रिल-१९६८)

◆ सुधारा:

गिरोहे मुकद्दसा में किसी के इन्तेक़ाल के बाद फ़ौरी तौर पर मैयत की आंखे बंद की जाती हैं, सीने पर हाथ रखे जाते हैं और मुंह क़िब्ले की तरफ़ किया जाता है। पैर भी सीधे किए जाते हैं। अगर इन मुआमलात मे जरा सी भी देर हो, तो जिस्म में अकड़न हो कर नर्मी बाक़ी नहीं रहती। आंखें खुली रह जाती है। हाथ सीने से दूर रह जाते हैं। मुंह खुला हुवा रह जाता है। सर का रुख़ भी क़िब्ले की तरफ़ रहने की बजाए सीधा छत की जानिब रहेता है। इसीलिए बिना देर किए सर, हाथ, पांव वगैरा सीधे किए जाते हैं। इस को सुधारा कहते हैं।

◆ सुल्तानुल् लैल व सुल्तानुन् नहार:

“लैल” के मानी रात और “नहार” के मानी दिन। “सुल्तानुल् लैल” का मतलब रात का सुल्तान और “सुल्तानुन् नहार” का मतलब दिन का सुल्तान। शाम में असर से इशा तक सुल्तानुल् लैल है और सुबह फ़ज़्र से तुलू आफ़ताब तक सुल्तानुन् नहार है। हर दो वक़्तों की हिफ़ाज़त इस तरह हो कि इन दोनों अवकात में जिक़ुल्लाह किया जाए। बा-जमाअत ज़िक़ निहायत उम्दा बात है। अगर जमाअत नहीं है, तो फिर तन्हा ही जिक़ किया जाना जरूरी है, क्यूंकि हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) ने हर दो वक़्तों की जिक़ के साथ हिफ़ाज़त का हुक्म दिया है। बल्कि, अगर किसी फ़क़ीर से इन दो वक़्तों की पाबंदी नहीं हो रही है, तो उस शख़्स को मेहदी मौऊद (अ.स.) ने “दीने खुदा का फ़क़ीर नहीं है” फ़रमाया है। कासिबीन(तिजारत करने वाले) के लिए भी पाबंदी जरूरी है। जैसा कि इस से पहले आपने हुदूदे कसब में सुल्तानुल् लैल व सुल्तानुन् नहार की पाबंदी के ताल्लुक़ से पढ़ा।

◆ सवाल:

सवाल तो कासिब के लिए भी बुरा है। फ़कीर के लिए तो हराम है। हज़रत सानी-ए-मेहदी (रजी.) ने सवाल की तीन किस्मों को भी हराम फ़रमाया है। सवाले क़ौली, सवाले फ़ाली और सवाले हाली। यानी एक तो सवाल कर के मांग लेना। दूसरा मांगने वाला-किसी को देखकर इबादत व रियाज़त में इजाफ़ा कर लेना, ता कि आने वाला उस को देखकर कुछ दे दे या इशारतन् मांगना। अल्-गरज़, तीनों सूरतें हराम फ़रमाई गई हैं।

◆ सवियत:

दायरोँ में जो भी नक़द या जिन्स अल्लाह के नाम पर आता तो फ़ुकरा-ए-किराम में मसावी तौर पर या किसी को ज़रूरत के तहत कुछ इजाफ़ा दिया जाता था। इस को सवियत कहते हैं।

◆ शिकनंदा फ़कीरी:

फ़कीरी को तोड़ने वाले बारह (१२) उमूर हैं। यह उमूर अज़रू-ए-एहकामे कुरआन व रसूल (स.अ.व.) और मेहदी (अ.स.) हस्बे ज़ैल हैं। यानी हुक्मे सोहबत को ज़ाईल और हक़ इर्शाद को साकित करते हैं।

(१) जिना, (२) सूदखोरी, (३) जुआ, (४) खूने नाहक़, (५) किसी शरीफ़ मर्द या औरत पर बोह्तान, (६) तअय्युन इख़्तियार करना (मुतअय्यन और मुकर्ररा आमदनी की सूरत निकाल लेना), (७) रिश्त देना या लेना, (८) जादू करना या करवाना-ख़्वा किसी की जान लेने के लिए हो या दिल फेरने के लिए हो, (९) चोरी, (१०) तीन रोज़ पै दर पै मज़दूरी करना, (११) दुन्यादारों से सवाल करना, (१२) नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना व नीज़ मेहदी मौऊद (अ.स.) ने उस फ़कीर को-जिसने सुल्तानुल् लैल और सुल्तानुन् नहार की पाबंदी नहीं की उस को भी 'दीने खुदा का फ़कीर नहीं है'-फ़रमाया है।

◆ शहादत:

खुदा की राह में मारे जाना शहादत है। शहीद जिंदा होते हैं। शहीदों के ताल्लुक से हूजुर (स.अ.व.) ने फ़रमाया है मफ़हूमे हदीस शरीफ़ यूं है...“अल्लाह त्आला ने शहीदों को पांच बातों से मुत्ताज़ फ़रमाया है, जो अंबिया और औलीया में किसी को अता नहीं हुईं...

- अंबिया (अ.स.) की मुबारक रूह को मलेकुल मौत क़ब्ज करेगा (करता आया है), लेकिन शहीदों की रूह खुदा-ए-त्आला अपनी कुदरत से - जिस तरह चाहे क़ब्ज करेगा और उन की रूहों पर मलेकुल मौत मुसल्लत ना होगा।

- तमाम अंबिया (अ.स.) कफ़न दिए गए और मैं भी कफ़न दिया जाऊंगा और शोहदा कफ़न नहीं दीए जाते, अपने कपड़ों में दफ़न किए जाते हैं।

- तमाम अंबिया (अ.स.) इन्तेक़ाल कीए तो इन का नाम “मौता” रखा गया और मैं भी मैयत कहलाऊंगा। शोहदा को मौता नहीं कहा जा सकता।

- तमाम अंबिया को क़यामत के रोज़ शिफ़ाअत की इजाज़त होगी। मैं भी क़यामत के रोज़ शिफ़ाअत करूंगा, लेकिन शोहदा हर रोज़ शिफ़ाअत कर सकते हैं। उन को इख़्तियार है, जिस की चाहें शिफ़ाअत करें।” (हवाला के लिए देखें “इन्साफ़ नामा”, सफ़हात-323 और 324)

◆ शहादते मरख़ूस़ा :

हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ूदमीर सिद्दीक़े विलायत (रजी.) की शहादत, शहादते मरख़ूस़ा है। मेहदी माऊद (अ.स.) के बदल में अल्लाह त्आला ने बंदगीमियां (रजी.) को मुन्तख़िब फ़रमा लिया था। हस्बे फ़रमान मेहदी (अ.स.) बादशाहे गुजरात मुजफ़्फ़र की फ़ौज को पहले रोज़ शिकस्त हुई। मियां (रजी.) फ़ातेह रहे। जंग के दौर के दूसरे रोज़ मियां (रजी.) की शहादत हुई और सर जुदा, तन जुदा और पोस्त जुदा की ख़ूश-ख़बरी पूरी हुई।

◆ सोहबत:

मुर्शिद की खिदमत में मुरीद की हाजरी सोहबत कहलाती है और लोग बरसों-बरस मुर्शिद की खिदमत में रहते थे और मुर्शिद की खूश्रूदी के हुसूल के लिए हमेशा कोशां रहते और मुर्शिद के रूबरू खूद को हीच समझते थे, तभी वह तलबे खूदा में तेजगाम होते थे। आज भी जो ऐसा अमल करते हैं, इन्शाअल्लाह... वह कामियाब व कामरान होते हैं।

◆ तालिब :

तालिबीन की तीन क्रिस्में बयान की गई हैं।

- १) खूदा का तालिब मर्द है।
- २) उक्बा का तालिब मुअन्नस है।
- ३) दुन्या का तालिब मुखन्नस है।

◆ तालिबे सादिक़ की सिफ़ात :

हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) ने हुक्म किया है कि हर मर्द व औरत पर खूदा के दीदार की तलब फ़र्ज है। जब तक कि सर की आंख से, दिल की आंख से या ख़्वाब में-खूदा को न देखे (वह) मोमिन न होगा।

लेकिन...

तालिबे सादिक़-जिसने...

- १) अपने दिल की तवज्जो ग़ैर हक़ से हटा ली हो,
- २) और अपने दिल को खूदा की तरफ़ ला लिया हो,
- ३) हमेशा खूदा के ज़िक़्र में मशगूल हो,
- ४) दुन्या और खलकुल्ला से अलग हो गया हो,
- ५) अपने से बाहर आने की कोशिश में हो...

...ऐसे शख्स पर भी हुक्मे ईमान है।

◆ उश्र :

जाइज़ आमदनी का दसवां हिस्सा उश्र कहेलाता है। उश्र उन को दिया जाता है-जिन के ताल्लुक से कुरआन में आया है (तुम्हारा राहे खुदा में खर्च करना) ऐसे फ़कीरों के लिए होना चाहिए, जो अल्लाह के रास्ते में ऐसे घिर गये हैं (कसबे मआश) के लिए ज़मीन में दौड़-धूप करने की सक्त(ताक़त) नहीं रखते। उन के सवाल से बचने की वजह से नावाकिफ़ लोग उन को मालदार समझ लेते हैं। तुम उन के चेहरों से उन को साफ पहचान सकते हो। वह लोगों से इसरार कर के नहीं मांगते और तुम जो माल खर्च करते हो, तो अल्लाह को उस की ख़बर है। फ़ुकरा-ए-मेहदविया की यही शान होती है कि वह अल्लाह वास्ते कसब की तमाम तदाबीर से दस्तबरदार हो चुके हैं और रोज़ी के लिए खुदा ही पर भरोसा कर के दौड़-धूप से खुद को रोक लिया है। सवाल तो उन के नज़दीक हराम है, तो नावाकिफ़ लोग उन को मालदार समझ लेते हैं। हालांकि उन के चेहरों से फ़ाकों की वजह से उन को पहचाना जा सकता है। ज़िल्लते सवाल से बचने के लिए किसी से इसरार कर के नहीं मांगते। उश्र की रकम मुर्शिदीने किराम के पास आती है और इस को अपने फ़ुकराओं में तक्सीम फ़रमा देते हैं। दायरों का यही तरीका कार रहा है। अलबत्ता, मुर्शिदीन को उश्र मांगने से हज़रत सानी-ए-मेहदी (रज़ी.) ने मना फ़रमाया दिया है।

◆ अता-ए-बारी:

हज़रत बंदगीमियां सैयदना शाह निज़ाम (रज़ी.) ने फ़रमाया, 'अता-ए-बारी इन वक्तों में होती है...

- १) मोमिन को जब तकलीफ़ पहुंचती है।
- २) जब मोमिन का इख़राज होता है।
- ३) जब मोमिन पर फ़ाका पड़ता है।'

◆ ग़र ग़रहे मर्ग:

रूह निकलने से पहले की कैफ़ियत-जो इन्सान पर तारी होती है, उस

को गर गरहे मर्ग कहते है। फ़राईजे अमली में पहेला फ़र्ज तर्के दुन्या और नव्वां (९) फ़र्ज गर गरह लगने से पहेले हालते हयात में तौबा करना है। चुनांचे हजरत रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया, 'मन् ता-ब इलल्लाह क़ब्ल अन् य-गर्गरह कुबिल मिन्दु' (अज़् जामे अस्सगीर, जिल्द : दुव्वम, हाफ़िज़ स्यूती, मतबुआ मिस्र, सफ़हा-१५१) जो शख़्स अल्लाह की तरफ़ रुजू हुआ यानी तौबा किया- गर गरह लगने से पहले, तो अल्लाह त्आला उस की तौबा कुबूल फ़रमाता है। बिना तर्क मरने से बेहतर यही है कि अल्लाह त्आला तौफ़ीक़ दे कि आदमी कम अज़् कम आख़री वक़्त ही तर्के दुन्या कर ले। वैसे तर्के दुन्या की फ़रज़ियत इसलिए है कि मुसद्दिक़ हालते होश व हवास में तर्क दे और अपने वजूद को फ़ना कर के अल्लाह के दिदार की आरजू में रहे। ख़ुदा का फ़ज़्ल हो गया और दिदार हो गया, तो यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

◆ फ़ाक़ा :

गिरोहे मुकद्दसा में फ़ाक़ों से शहादतें हुई हैं और जो लोग फ़ाक़ों से शहीद होते थे-उन को दिदारे ख़ुदा की नेअमत मिलती थी और कुरबते ख़ुदावंदी जैसी दौलत से मालामाल हो जाते थे। क्यूंकि ख़ून बहा क़ातिल के जिम्मे होता है, तो फ़ाक़ों से शहीद होने वालों को अल्लाह त्आला अपनी ज़ात की तजल्ली से नवाज़ता है।

◆ फ़ुतूह :

बिला इल्म व इत्तला अचानक मिन जानिब अल्लाह-किसी शख़्स के जरिए कोई नक़द या जन्स (कच्ची ख़ुराक) आ जाए तो इस को फ़ुतूह कहा जाता है। मुर्शिद इस को फ़ाैरी राहे ख़ुदा में ख़र्च कर देने की सई(कोशिश) करते हैं। हजरत बंदगीमियां सैयद मीरां सुतूनेदीन (रह.) ने फ़रमाया था, 'दक्कन में फ़ुतूहात बहुत हैं, यानी अहले दक्कन मुर्शिदीन की ख़िदमत में फ़ुतूह गुजारते हैं। अलबत्ता, फ़ुतूह का इन्तज़ार ना रवां है।'

मेहदी मौऊद (अ.स.) के फ़रमान का मफ़हूम यह है कि, 'फ़ुतूह का इन्तज़ार करने वाला मुतवक्किल नहीं है।'

◆ फ़राइज़े विलायत:

फ़राइज़े विलायत हुज़ूर पुरनूर मुहम्मद मुस्तूफ़ा (स.अ.व.) के मुबारक़ अमल से रास्त जुड़े हुए हैं। मसलन,...

◆ तर्के दुन्या व तवक्कल : हुज़ूर मुहम्मद (स.अ.व.) ने जब दावा-ए-नबुव्वत फ़रमाया तो आप के विसाल तक बाज़ वक़्त कई-कई दिन फ़ाके होते थे। बीबी आयशा सिद्दीका (र.ज़ी.) फ़रमाती हैं, 'एक बार तो तीन महीने तक चुल्हा नहीं सुलगा था।' हालांकि अज़्वाजे मुतहरात और साहबजादियां थी, वफूद आते थे, अज़ीज व अकारिब भी आते थे। इस के बावजूद हुज़ूर (स.अ.व.) ना तो कसब फ़रमाते थे और ना ही कोई मुस्तक़िल ज़रिया-ए-रोज़गार था। दूसरी बात-अल्लाह ने कुछ दे दिया, तो हुज़ूर (स.अ.व.) उस को उसी वक़्त राहे ख़ुदा में तक्सीम फ़रमाते थे। यही तर्के दुन्या थी और यही तवक्कल था।

◆ ज़िक्रे दवाम : हुज़ूर (स.अ.व.) की हर सांस अल्लाह के ज़िक्र से मामूर थी। आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया-जिस का मफ़हूम यूँ है कि, 'मेरी आंख सोती है, दिल नहीं सोता।' (यानी हालते ख़्वाब में भी आप (स.अ.व.) का क़ल्ब पूर अन्वार मसरूफ़े ज़िक्र रहता था।)

◆ तलब-ए-दिदार ख़ुदा : हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया, 'नमाज़ इस तरह पढ़ो, गोया तुम ख़ुदा को देख रहे हो। अगर ख़ुदा को ना देख सको तो यूँ समझो कि ख़ुदा तुम को देख रहा है।' दो अहादीस शरीफ़ा का मफ़हूम यूँ है (१) मोमिन को ख़ुदा के दिदार के सिवा राहत नहीं, (२) अपने शिकमों को भूका रखो, प्यासा रखो (फ़क्रौ-फ़ाक्रा पर सब्र करो।) और कपड़ा ना भी मिले तो सब्र करो, ता कि तुम अपने रब को देख सको।

◆ सोहबते सादिकीन : अस्थाबे सुफ़्फ़ा को आप (स.अ.व.) से दूर ना

करने का हुक्म इलाही आया था। आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया था, 'मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं, जिन के साथ रहने का मुझे हुक्म है।'

♦ उजलत अज़ खल्क़ : हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि, 'मुझे एक लम्हा अल्लाह के साथ मयस्सर है कि जिस में किसी नबी मुर्सल या मुकर्ब फ़रिश्ते का गुजर नहीं।'

♦ हिजरत : हुज़ूर (स.अ.व.) ने अमलन् मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा को हिजरत फ़रमाई। मुख्तसरन् यूं समझिए कि हुज़ूर मेहदी (अ.स.) ने मुसद्दिकीन को हुक्म दिया है कि, 'हुज़ूर (स.अ.व.) के मुबारक और पुरनूर क़दमों के नीचे की खाक़ तुम्हारी आंखों का सुरमा बने और तुम अमल किए जाओ।' चीन के मेहदवी आज भी हिजरत में हैं। हर छह (६) माह बाद वह जगह छोड़ देते हैं और सारा साज़ व सामान भी। (हजरत सैयद याक़ूब सलीम साहब मर्हूम की किताब "हिदायत")

दीगर लोग सिर्फ़ हुज़ूर (स.अ.व.) के अक्वाल मुबारक पर ही चलते हैं जब कि हमारा काम है कि हम हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.) के मुबारक अक्वाल व अफ़्आल की पैरवी करें और अहवाल की आरज़ूरखें।

♦ फ़क़ीर :

जिस ने दुन्या को तर्क कर दिया है वह फ़क़ीर है। हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया, 'दुन्या की मुहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है और दुन्या का तर्क करना यानी तर्क दुन्या करना इबादतों का सर है।' तर्क दुन्या यानी फ़क़ीर हो जाने के बाद इन चिजों को छोड़ देना पढ़ता है-तर्के ख़ुदी, तर्के इज़्जत, तर्के लज़्जत, तर्के शिर्क-ख़फ़ी व जली, तर्के कुफ़्र-जाहीरी व बातीनी, तर्के निफ़ाक़, तर्के रस्म, तर्के आदत, तर्के बिदअत, तर्के रिया, तर्के बुरे अख़्लाके ज़मीमा। (बुरे अख़्लाक़ को तर्क करना।)

इन के इलावा फ़क़ीर के लिए इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है...

(१) खेल (२) तमाशा (३) जिनत (४) बाहमी फ़ख़्र (५) कसरते औलाद।

इलावा इसके तर्के मता-ए-हयाते दुन्या भी जरूरी है। मसलन, औरतें, बेटें, चांदी के ढेर, सोने के खजाने, घोड़े, चौपाए, खेत। (मुलाहिजा हो... पारा-३, दसवां हिस्सा)

हजरत मेहदी मौऊद (अ.स.) के हुक्म पर तर्के दुन्या कर देने के बाद खुदा के फ़ज़ल से फ़कीर से यह तमाम चीज़ें ख़ूद ब-ख़ूद दूर होती चली जाती हैं और वह हकीकी तरिकुदुन्या और फ़कीर कहला सकता है।

◆ फ़कीर और इन की पगड़ी :

क़ौम में यह एक मुहावरा बोला जाता है कि फ़कीर की पगड़ी तेढ़ी कहेने से ईमान चला जाता है। यह बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम दूसरों के ऐबों पर नज़र करते हैं और लोगों के सामने कहेते रहेते हैं, तो अपनी इस्लाह से ग़ाफ़िल हो जाते हैं और हमारा नफ़्स हमें लगातार यही उक्साता है कि हम दूसरों की बुराई ही करते रहें और फ़कीर का मक़ाम व मरतबा ख़ुदा ही जानता है। इसलिए हमें चाहिए के किसी को भी बुरा कहेना छोड़ दें। खासकर फ़फ़रा-ए-किराम व मुर्शिदीन-ए-किराम को हरगिज़ कुछ ना कहें। इस के बजाए अपने आमाल का जाएजा लेते रहें और ऐबो पर ताइब होते रहें और आइन्दा के लिए परहेज करने की कोशिश करते रहें।

◆ फ़कीरी के अहकाम :

जो कोई तर्के दुन्या करे और तालिबे दिदार हो, उस के लिए अहकाम यह है कि दुन्यादारी से, घर-बार से हिजरत कर के तालिबाने ख़ुदा के दायरें में जाएं और मुशिदि दायरा के रूबरू गुनाहों से तौबा और अल्लाह के वास्ते तर्के दुन्या का इक़रार करें और बैअत कर के मुर्शिद की सोहबत में रहें और मुर्शिद की इजाज़त के बग़ैर दायरे या मस्जिद के अहाते के बाहर क़दम ना रखें और तमाम दुन्यवी अलाईक़ से पाक हो जाएं। इस तरह कि किसी जगह के नौकरों

या वजीफ़े ख़्वारों या जमींदारों या मनसबदारों या इन्आम पाने वालों में इस का दाखिला न रहे। वर्ना उस का इकरारे तलबे ख़ुदा बातील होगा और फ़कीर दीने ख़ुदा होना इस का साबित ना होगा और तर्के अलाईके दुन्यवी की तरह तर्के तदबीरे रोज़ी और तर्के तरहुदे मआश(मआश की फ़िक्र छोड़ देना) फ़कीर दीने ख़ुदा की सोहबत की शर्त है। पस, अगर बद इख़्तियार फ़कीरी यानी बाद इकरारे तर्के दुन्या, तलबे दिदारे ख़ुदा कोई शख्स-आज कुछ, कल कुछ-कर के पै दर पै तीन रोज़ कोई तदबीरे रोज़ी करे, फ़िक्रे मआश में एक रोज़ कामिल मुर्शिद की सोहबत से जुदा हो जाये-तो इस सूरत में उस के लिए हुक्मे फ़कीरी बाकी नहीं रहेगी। और हुक्मे सोहबत भी (पिछली) ख़त्म हो कर फिर से नई सोहबत लाज़ीम होगी। इस बाब में नकूल शरीफ़ा, हाशिया वगैरा में मज़कूर हैं।

◆ फ़कीर (सोहबती व सनदी) :

तर्के दुन्या कर देने के बाद मुर्शिद की सोहबत में आना ज़रूरी हो जाता है और मुर्शिद अपनी सोहबत में रखकर इन नए आने वालों की अना को दूर फ़रमा देते हैं। सोहबत-फ़कीर के लिए भी ज़रूरी और होने वाले मुर्शिद के लिए तो और ज़िआदा ज़रूरी होती है। मुर्शिदीने किराम जानते हैं कि नफ़्स की मक्कारियां क्या होती हैं? और इन को किस तरह ख़त्म किया जाता है...! सोहबत में काफ़ी अर्सा गुजारने का यह फ़ायदा होता है कि अना और ख़ुदपरस्ती ख़त्म हो जाती है। व नीज़ एहसासाते कमतरी व बरतरी को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाता है। क्युंकि, मुर्शिदीन-जो इल्मुल नफ़्स के माहीर होते हैं, ब-ख़ूबी जानते हैं कि सोहबत में रहने वाले और कल के होने वाले मुर्शिद में एहसासाते कमतरी या बरतरी रह जाए, तो फिर इस में बहुत सी मज़हबी और नफ़्सियाती ख़राबियां मौजूद रहेंगी। मसलन, ख़ुदा से बेख़ौफ़ी, फ़राइज़ व वाजिबात में कोताही, अपने मुर्शिदीन व मुतवस्सिलीन पर बेजा हुक्म चलाना, इज़ारसानी, जिद और अज़ियत पसंदी और संगदिली। इस के

इलावा बेजा क्रिस्म की अकड़, खानदान परस्ती और अमल-अमलियात का कारोबार (मफहूम : फ़रमाने हज़रत मेहदी (अ.स.), 'जो सफ़ेद कागज़ को काला करे वह मेरा नहीं।') वग़ैरा वग़ैरा। अल् गरज़, सोहबत में रखकर-वक्ते रुख़्सत, उस को सनद भी दी जाती है। पहले तो तहरीरी तौर पर दी जाती थी, आज-कल ज़बानी तौर पर ही फ़रमा दिया जाता है। इस तरह होने वाले मुर्शिद को इस सोहबत से और सनद से फ़ायदा होता है और वह मुरिदीन के लिए मुफ़्फ़िद और राहत रसां रहेता है। ऐसे ही शख़्स को सोहबती और सनदी फ़क़ीर कहा जाता है। अगर इत्तेफ़ाक से बिना सोहबत व सनद के कोई मुर्शिद बन जाए या बना दिया जाए, तो ऐसे मुर्शिद के लिए और इस से वाबस्ता मुरिदीन के लिए मुसीबतों और तकालीफ़ का FILLED GATE खुल जाता है-जिस की ज़िद में मुर्शिद भी आ जाते हैं और मुरिदीन भी। लिहाज़ा सोहबत व सनद ज़रूरी है। तैरने से ना वाक़िफ़ खुद भी डूबता है और उस की मदद लेने वाले को भी डूबो देता है।

◆ फ़ैज़ :

फ़ैज़ के हासिल होने के लिए बुर्जुग़ानि दीन-जो आराम फ़र्मा हैं, उन के क़दमों में हाज़री दी जाती है और इन बुजुर्गों की नज़रे करम हम पर पड़ जाए तो फ़ैज़ मिल जाता है। जिस का रास्त फ़ायदा ये होता है कि हमारे दिल में दुन्या की मुहब्बत कम हो कर अल्लाह की मुहब्बत बढ़ जाती है। हुसूले फ़ैज़ की दूसरी सूरत मौजूद मुर्शिद की ख़िदमत में हाज़री दी जाती है और उन की सोहबत में रहा जाता है।

◆ क़ाएदीन :

क़ाएदीन जमा है क़ाएद की, यानी वह फ़क़ीर जो तर्कें दुन्या कर देने के बावजूद हिजरत से बाज़ रहा। इमामुना मेहदी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, 'जिन लोगों ने हिजरत नहीं की, उन से दोस्ती मत रखो और उन के घर भी मत

जाओ।’

◆ क़दमबोसी:

क़दमबोसी के जवाज़ के लिए सब से अहम बात ये है कि हुज़ूर पुरनूर (स.अ.व.) को क़दमबोसी और दस्तबोसी की गई और आप (स.अ.व.) ने मना नहीं फ़रमाया। आप (स.अ.व.) के बाद भी क़दमबोसी का सीलसीला जारी रहा। क़ौम-ए-मेहदविया में भी क़दमबोसी जारी है। इस ताल्लुक से हम हज़रत खुदाबख़्श रश्दी साहब (रह.) के “रिसाला नाफिआ” से जवाज़ क़दमबोसी पर चंद सुतूर लिख रहे हैं।

हज़रत रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के खुलफ़ा-ए-राशिदीन (रज़ी.) के ज़माने तक अलीउल उमूम एक दूसरे को बग़ैर सर झुकाए के अस्सलामु अलयकुम कहेने का ही रिवाज था, लेकिन जब मुसलमान सलातीन ने अजमी सलातीन के तरीक़े पर सलाम लेना शुरू किया और दुन्यादार हुक्काम को झुक-झुककर सलाम करने पर मुसलमान मजबुर हुए, तो उन के मुकाबले में आईम्मा-ए-दीन की ताज़ीम क़दमबोसी से करने लगे, तब ही से अहले फज़ल हस्तियों की क़दमबोसी का अमल आम हुआ। पस, बराबरवालों को अस्सलामु अलयकुम कहेना और बुजुर्गों की क़दमबोसी-दोनों आईने इस्लामी हैं। इन में कोई चूँव चरा की गुंजाइश नहीं है।

◆ क़तई जन्नती:

दौरे नब्बी (स.अ.व.) के क़तई जन्नती हस्बे ज़ैल हज़रात थे:

- १) हज़रत सैयदना अबु बकर सिद्दीक़ (रज़ी.)
- २) हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ (रज़ी.)
- ३) हज़रत सैयदना उस्मान ग़नी (रज़ी.)
- ४) हज़रत सैयदना अली करम अल्लाह वज्हू (रज़ी.)
- ५) हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास (रज़ी.)

- ६) हज़रत अबू उबेदा बिन अल्ज़र्रह (रज़ी.)
- ७) हज़रत जुबैर बिन अल् अवाम (रज़ी.)
- ८) हज़रत साद बिन मुसय्यब (रज़ी.)
- ९) हज़रत तलहा (रज़ी.)
- १०) हज़रत अब्दुर रहेमान बिन औफ़ (रज़ी.)
दौरै विलायत अलैहिस्सलाम के कतई जन्नती हस्बे ज़ैल हज़रात थे :
- १) हज़रत बंदगी मीरां सैयद मेहमूद सानी-ए-मेहदी (रज़ी.)
- २) हज़रत बंदगीमियां सैयद खूंदमीर सिद्दीक़े विलायत (रज़ी.)
- ३) हज़रत बंदगीमियां सैयदना शाहे नेअमत मीकराज-ए-बिदअत (रज़ी.)
- ४) हज़रत बंदगीमियां सैयदना शाह निज़ाम दरीया-ए-वहदते आशाम (रज़ी.)
- ५) हज़रत बंदगीमियां सैयदना शाह दिलावर (रज़ी.) (जिन की हथेली में दुन्या राई का दाना थी और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने जिन को अशरफ़ों से बढ़कर अशरफ़ फ़रमाया था।)
- ६) हज़रत बंदगीमियां मलिक बुरहानुद्दीन (रज़ी.)
- ७) हज़रत बंदगीमियां अब्दुल मजीद नूर नौश (रज़ी.)
- ८) हज़रत बंदगीमियां शाह अमीन मुहम्मद (रज़ी.)
- ९) हज़रत बंदगीमियां मलिक मारुफ़ (रज़ी.)
- १०) हज़रत बंदगीमियां मलिक गौहर (रज़ी.)
- ११) हज़रत बंदगीमियां यूसुफ़ खुदावंद खानी (रज़ी.)
- १२) हज़रत बंदगीमियां मलिकजी शहेजादा-ए-लाहूत (रज़ी.)

◆ क़ौम :

क्रौम से क्रौमे मेहदविया मुराद है, क्यूंकि अल्लाह ने जिस क्रौम को लाने का वादा फ़रमाया था और जो क्रौम वस्ते उम्मत में आई वह क्रौमे मेहदविया है। हम मेहदविया क्रौम है, ना के फ़िक्र। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्रौम भी फ़रमाया और गिरोह भी फ़रमाया। चुनांचे, हमारे यहां “ख़ुलफ़ा-ए-गिरोह (रज़ी.)”, “मुज्जहेद-ए-गिरोह (रह.)” और “सालारे गिरोह (रह.)” की इस्तिलाहात मिलती है। इस तरह गिरोह का बुलावा भी मशहूर है।

◆ क़ैद क़दम :

उज़लत और गोशा नशीनी उस वक़्त हासिल हो सकती है, जब क़दमों को क़ैद कर लिया जाए। मेले, ठेले, जल्से, जश्न, बिला वजह की मेल मुलाक़ात, दुन्यादारों के पास आमद व रफ़्त-जिस में कोई दीनी फ़ायदा न हो, अल् ग़रज़, इन तमाम बातों से रुक जाना क़ैद क़दम है। क़ैद क़दम की वजह से ज़िक्र व फ़िक्र के लिए वक़्त भी मिलता है और यक्सूई भी हासिल होती है, इस के बरअक्स क़ैद क़दम की पाबंदी ना हो तो वक़्त जाए हो जाता है और फ़िर जो हयाते मुस्तआर मिली है-अगर ये सासें रोक ली गईं, तो हम इस मौके को जाए कर देंगे। जिस से ख़ुदा का फ़ज़ल हो तो ख़ुदा का तक्ररुब हासिल हो सकता था।

हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने दम व क़दम की हिफ़ाज़त करने का हुक्म दिया है, इस से यहीं मतलब है कि हर सांस अल्लाह के ज़िक्र से आए और जाए और क़दम की हिफ़ाज़त यूं हो कि उज़लत और गोशा नशीनी इख़्तियार की जाए। सिवाए ज़रूरी और नागुजर मवाक़े के दायरा या मस्जिद या अपने घर से बाहर न जाएं। फुक़रा-ए-किराम के लिए क़ैद क़दम निहायत ज़रूरी है।

◆ कासिब :

वह मुसद्दिक जो हालते कसब में है, यानी रोटी-रोजगार के लिए दौड़ भाग करने वाला हो-कासिब कहेलाता है और कासिब के लिए हुदूदे कसब की पाबंदी लाजमी है। कासिब ने खुदा के फ़ज़ल से हुदूदे कसब (तफ़सीलात पिछले सफ़हात पर गुजर चुकी हैं) की पाबंदी कर ली, तो इन्शा अल्लाह, उस के लिए फ़कीरी-जो फ़ौलाद के चने कहलाती है, आसान हो जाती है।

◆ कबड्डी:

जंगे बदरे विलायत-जो खांबेल में हुई थी। बादशाहे गुजरात मुजफ़्फ़र की फ़ौज-जो हजारों सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और जिस के साथ फ़ौजी हथियार व साज़ व सामान था और दूसरी तरफ़ हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ूंदमीर सिद्दीके विलायत (रज़ी.) और आप (रज़ी.) के सौ (१००) निहते फ़ुकरा थे, लेकिन हस्बे फ़रमान हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम बंदगीमियां (रज़ी.) पहले रोज़ फत्हयाब हुए और जंग के दूसरे रोज़ हस्बे फ़रमान हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम बंदगीमियां (रज़ी.) की शहादत बमुकाम सुद्रासन शरीफ़ में हुई। इस जंग से पहले हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ूंदमीर सिद्दीके विलायत (रज़ी.) ने कबड्डी खिलाई थी। शव्वाल की बारहवीं शब को, बाद नमाजे इशा-आप (रज़ी.) ने हाज़िरीन से खिताब फ़रमाया, 'दुश्मन सर पर आ गया है और कल उस से तुम को मुकाबला करना है और अल्लाह के रास्ते में हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की खातिर सर कटाना है और जान देना है, इसलिए आज कबड्डी खेलकर हमें तुम्हारी चुस्ती, चालाकी व सुजाअत और इमान की कुव्वत दिखाओ।' ये फ़रमाकर हज़रत बंदगीमियां (रज़ी.) ने पूरी जमात को दो हिस्सों में बांट दिया। अपने फ़रज़ंद हज़रत बंदगीमियां सैयद जलाल (रज़ी.) के साथ उन लोगों को दिया-जो शहादत का जाम पीने वाले थे और दूसरे फ़रज़ंद हज़रत बंदगीमियां सैयद शहाबुद्दीन शहाबुल हक़ (रज़ी.) के साथ उन लोगों को दिया-जो ग़ाज़ी होने वाले थे। दोनों फ़रीक दो तरफ़ खड़े हो

गए और हज़रत बंदगीमियां (रज़ी.) शौक़ से इस का नज़ारा करने लगे।

हुक्म की देर थी तरफ़ैन से कबड्डी शुरू हुई। इन में हर एक पहेलवान बर्क़ की चालाकी रखता था। उलट-पलट इस तरह थी गोया आंख में पुतली फिरती है। ग़रज़ के हर शख्स ने कुशती व कुव्वत का मुजाहिरा किया कि हज़रत बंदगीमियां (रज़ी.) ने खूश हो कर फ़रमाया, 'कल ऐसे ही कुव्वते इमानी दिखाना और मुखालिफ़ पर ऐसे ही हाथ जमा कर सुजाअत व मर्दानगी के जौहर दिखाना।'

◆ कबड्डी का बहरेआम :

१२-शव्वालुल् मुकर्रम, ९३०-हिजरी को जंगे बदरे विलायत के पहले रोज बंदगीमियां (रज़ी.) फ़ातेह रहे थे। अलबत्ता, उस रोज इत्तग़ालीस (४१) फुकरा-ए-अज़ीमते शआर ने जामे शहादत नोश फ़रमाया था। इसलिए ११-शव्वाल को हर साल बहरेआम की जाती है-वह कबड्डी की बहरेआम के नाम से मारूफ़ व मशहूर है।

◆ कश्फ़ :

किसी बात की मिन जानिब अल्लाह इतेला कश्फ़ कहेलाती है, लेकिन हमारे यहां कश्फ़ व करामत इज़हार नहीं किया जाता। करामत को हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने मलामत फ़रमाया है, साहिबे कश्फ़ बुजुर्गा ने दीन ने कभी भी अपने हाल की ख़बर नहीं दी कि मैं साहिबे कश्फ़ हूं, कश्फ़ को ज़ब्त करना ही मज़ीद आगे के मुआमलात रोशन करता है।

◆ खिचड़ी :

मुर्शिदीन की तरफ़ से उमूमन् दूगाना की रात नमाज़ के बाद आने वालों की ज़ियाफ़त खिचड़ी-खट्टे से की जाती। ख़ादिमीन भी इस को निहायत अक़ीदत से खाते हैं।

◆ खिचड़ी (भाती) :

हुजूर पुरनूर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात के ज़रिए हम मुसद्दिकीन को हुजूर पुरनूर मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के मुबारक क़दमों से जोड़ दिया है। चुनांचे, हुजूर (स.अ.व.) ने अपने घरवालों को हुक्म दिया कि, 'जाफ़र (र.ज़ी.) के घरवाले ग़मगीन है। उन के पास खाने के लिए भेजो।' इसी उस्वा-ए-रसूल (स.अ.व.) की पैरवी में मुर्शिदीन अपने उन मुरीदीन के पास-जिस के यहां किसी का इन्तेक़ाल हो गया हो-खिचड़ी बनवाकर भीजवाते है, इसी तरह ग़मज़दा अरकान ख़ानदान को खाना पकाने की ज़हेमत नहीं होती, मौजूदा जमाने में ये हो रहा है कि ग़मगीन लोग आने वालों को ख़ूद ठहरकर खिलाते हैं, जब कि आने वाले लोगों को लाज़िम है की इन ग़मगीनो को ख़ूद खिलाएं। तीन दीन का शरई सोग होता है। इसलिए हमारे पास तीन दिन तक करीबी रिश्तेदार एक-एक वक़्त का त्आम ला कर ग़मज़दा अरकान ख़ानदान को लिल्लाह खिलाकर जाते है। रिश्तेदारों की आमद व रफ्त ग़म को हल्का कर देती है, दौराने त्आम उन को तसल्ली दी जाती है। बहरहाल, गिरोहे मुकद्दसा में राईज तमाम मुआमलात की बुनियाद हुसुले खुश्रूदी-ए-रब पर है, इमान के बाब में मजबूत दस्तावेज़ यही है कि हमारी मुहब्बत अल्लाह वास्ते हो और हमारी दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते हो। ज़रूरत है कि तमाम दायरों में खिचड़ी भिजवाने का अमल जारी रखा जाए या अह्ले ख़ैर हज़रात लिल्लाह पकवाकर (आज कल तो Catering कि सहूलत है) मैयत के पसमान्दगान के पास मुताल्लिका मुर्शिद की तरफ़ से भिजवा दें। इदारा हयात व ममाते मेहदविया इस सिलसिले में पहल करे तो मुनासिब है।

◆ गिरोह का बुलावा :

ये लफ़ज़ उस वक़्त बोला जाता है, जब किसी के इन्तेक़ाल पर नमाज़े जनाज़ा में शिरकत के लिए दुसरे दायरे के मुर्शिदीने किराम और फुकरा-ए-किराम को बुलाया जाता है। बुलावे का मतलब तशरीफ़ आवरी के लिए

दरखास्त या बुलवाना होता है। इस तरह उन हज़रात की आमद से मैयत को आसानी हो जाती है। खुदा का फ़ज़ल हो जाता है।

◆ गिरोहे मुकद्दसा:

क्रौम मेहदविया को गिरोहे मुकद्दसा से भी मौसुम कीया जाता है, इसीलिए “खलीफ़ा-ए-गिरोह (र.जी.)” “मुज्त्हेद गिरोह (रह.)” और “सालारे गिरोह (रह.)” वगैरा जैसी इस्तिलाहात या अलकाब मौजूद हैं।

◆ घड़ी:

जब तक दायरे का निज़ाम बाकी था, उस वक़्त तक दायरे का कोई फ़र्द फ़ौत हो जाता, तो उस का तमाम सामान-मसलनु, लिबास, हथियार, कुतुब वगैरा-सब बैतुल मलाल में वापस जमा कर लिया जाता। (शरख़्सी लिबास व अस्बाबे दायरा की मिल्क होते-जो फ़र्द के पास बतौर अमानत इस्तेमाल के लिए थे।) अलबत्ता, दायरे से बाहर बसने वाले मुतवफ़्फ़ी(वफ़ात पाया हुवा) के वुर्सा(वारिस की जमा) को चालीस दिन की मोहलत दी जाती। मरने वाले का तमाम मन्कूला असासा(एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला समान) दायरे में जमा करना लाज़िम था। इस तरीक़े को घड़ी कहा जाता था। जिस का चलन आज नहीं है।

◆ ला इलाह इल्लल्लाह की तफ़्हीम:

ला इलाह इल्लल्लाह की तफ़्हीम यही है के अल्लाह की ज़ात का इक्कार और अपनी ज़ात का इन्कार।

◆ लिसानी मेहदवी:

वह होता है-जो ज़बान से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का इक्कार करता है, लेकिन दिल में पुख्तगी नहीं रहती। मुन्करे मेहदी को काफ़िर नहीं जानता। मुखालिफीन के पीछे नमाज़ पढ़ता है, जिस की कि मेहदी मौऊद (अ.स.) ने मुमानिअत फ़रमा दी है और गिरोहे मुकद्दसा पर तन्कीद से नहीं

चुकता। मेहदविया आमाल, अक्राईद पर उस का क़ल्ब मुतमईन नही रहता। मज़हबे हक्का मेहदवियत को ग़ैरों की आंख से देखता है। नतीजे में उस को हुनर(खूबी) ऐब महसूस होते हैं। ज़रूरत है कि ऐसा शख्स अपने एतेक़ाद में पुख्ता हो जाए और आमाल मेहदवियों जैसे करे। ज़िक्रुल्लाह के वक़्त विर्द या वज़ीफ़ा या कुरआन की तिलावत ना करे, बल्कि सिर्फ़ ज़िक्र ही करे। हज़रत बंदगीमियां सैयदना शाह क़ासिम मुज्जहेद गिरोह (रह.) ने अपने रिसाला “सोहबते सादेक़ीन” में लिसानी मेहदवी को मरने के बाद दोज़ख की वर्ईद (सज़ा की धमकी) फ़रमाई है।

◆ लिल्लाहियत:

हर वह काम-जो इख़्लास के साथ अल्लाह वास्ते किया जाए “लिल्लाहियत” कहलाता है। मसलन, चुपके से आप थोडा सा आटा या शक्कर सियाह चूंटियों को डाल दे, तो खुदा की खुशुदी हासिल होगी। इख़्लास वाले अमल करने के बाद सताईश(तारीफ़) या सिला की परवाह नहीं करते। लिल्लाहियत का मतलब हर काम अल्लाह वास्ते करना।

◆ लैलतुल ईमान:

हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ुंदमीर सिद्दीके विलायत (रज़ी.) के फ़रज़ंद हज़रत बंदगीमियां सैयद शरीफ़ तश्रीफुल्लाह (रज़ी.) की मुबारक विलादत सत्ताईसवीं ज़िलहज्जा को हुई थी। उस वक़्त दायरे में ग्यारह (११) दिन का फ़ाक़ा था। निहायत उसरत(दुश्चारी) व तंगदस्ती दायरे में थी। उस वक़्त हज़रत की पैदाइश पर दायरे में ईमान की सवियत की गई थी। इसलिए इस को गिरोहे मुक़द्दसा मेहदविया में “लैलतुल ईमान” के प्यारे नाम से मौसूम किया गया।

◆ मुतवल्ली:

तौलियत(इन्तेज़ाम, निगरानी) में आयी हुई चीज़ की हिफ़ाज़त और

निगरानी करने वाला मुतवल्ली कहलाता है। उस की ज़िम्मेदारी होती है कि अमानतों की बेहतरीन तौर पर निगरानी करे, उस को हरगिज़ ज़ाया ना जाने दे। मुतवल्ली को आम दुन्यादारों की रविश-मसलन, खूर्द-बुर्द (ले जाना), नाजाइज़ फ़रोख़्तगी वगैरा से बचना चाहिए।

◆ मुरीद:

अरबाबे तसव्वुफ़ के पास मुरीद की ये तारीफ़ आई है कि मुरीद उस वक़्त तक मुरीद नहीं होता-जब तक कि उस के बाएं हाथ का फ़रिश्ता बीस साल से लिखना ना छोड़ दिया हो। यानी इरादत या मुरीदी उस वक़्त ही कारआमद सूदमंद (फायदेमंद) होती है-जब मुरीद होने वाला बरसा-बरस से नेकियों पर रहे, लेकिन उन पर मगरूर न होवे। नेकियों को नज़र में ना लाए और बुराईयों से खूद को रोक ले। ऐसा करने से नफ़्स मुअद्बिब (तहज़ीब याफ़्ता) हो जाएगा। अल्लाह तआला से नफ़्स और शैतान की पनाह मांगता रहे। इस तरह मुरीद जल्द ही ख़ुदा तक पहुंच जाएगा। मुरीद वह है-जो मज़ीद को तलब करे, यानी ख़ुदा तलबी में हर वक़्त तेज़गामी की तमन्ना करे। वहीं रुक न जाए, बल्कि, मुरीद आगे बढ़ने की आरजू और कोशिश जारी रखे।

◆ मुसद्दिक़:

हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ूंदमीर सिद्दीक़े विलायत (रज़ी.) ने फ़रमाया, 'जो शख्स हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अक्वाल (फरमाए हुए), अफ़आल (अमल किये हुए) और अह्वाल (खुदा तक मेहदी अलैहिस्सलाम की नजदीकी) से मुताबिक़त न रखे, उस को मुसद्दिक़ ना कहेना चाहिए।' यानी मुसद्दिक़ इमामुना अलैहिस्सलाम के फ़रमाए हुए पर ईमान रखता है और दिलो जान से फ़रामीन पर अमल करने की कोशिश करता रहता है। इमामुना अलैहिस्सलाम के आमाल की तरह ख़ुद भी अमल करने की कोशिश करता हो और इमामुना (अ.स.) की ख़ुदा के पास जैसी बुलंदी थी और

तक्ररूब(नज़दीकी, कुर्ब) था, वैसे ही तक्ररूब और वैसी ही बुलंदी की आरजू रखता हो।

◆ मुज़्तर (परेशान, बेबस) :

फाक़ों की बेचैनी इज़तरार कहलाती है और बेचैन होने वाला मुज़्तर कहलाता है। हालते इज़तरार से अगर कोई दायरे से बाहर जा कर कुछ रिज़्क की सई(दौड़-धूप, कोशिश) करे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। उश्र मुज़्तरों का हक़ होता है।

◆ मम्नुआत :

हज़रत मेहदी मौऊद (अ.स.) ने जिन उमूर की मुमानियत फ़रमाई है, वह दर्जे ज़ैल हैं...

१) शैतान पर लानत करने से मना फ़रमाया है। इस के बजाए ज़िक्र करने की ताकीद फ़रमाई है।

२) यज़ीद पर लानत करने से मना फ़रमाया और फ़रमाया कि, 'अपने नफ़्स पर लानत करो। वह यज़ीद का नफ़्स ही था-जिस ने नवासा-ए-रसूल (स.अ.व.) को शहीद किया।'

३) और अदद व वज़ाइफ, चिल्ले, रियाजतें और नवाफ़िल का मक्सद दुन्या हो, तो उस के लिए जहन्नूम की वर्ईद हज़रत इमामुना मेहदी माउद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाई है।

४) अवक्राते ज़िक्रुल्लाह-मसलन्, फ़ज़्र ता तुलु आफ़ताब और असर ता गुरुबे आफ़ताब, तिलावते कुरआन भी मना है।

५) कुरआन की तफ़सीर के ताल्लुक से फ़रमाया कि, 'तफ़सीरों से खुदा को न पाओगे, खुदा नहीं मिलेगा। खुदा सिर्फ़ ज़िक्र से ही मिलेगा।' ये बात याद रखने की है कि हिकायात और रिवायात से या बुजुर्गों के तज़्कीरों से अफ़ज़ल ज़िक्रे खुदा है।

◆ मुहाजिर:

जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत कर के चला आए-वह मुहाजिर कहलाता है। मुहाजिरीने मेहदी का बहुत बड़ा मक़ाम है। हज़रत बंदगीमियां सैयद ख़ूंदमीर सिद्दीक़े विलायत (रज़ी.) ने फ़रमाया कि, 'आम मुहाजिरे मेहदी (अ.स.) का-अगर किसी को धक्का लग जाए तो उस का ठिकाना जहन्नम है।' यानी अगर किसीने आम मुहाजिरे मेहदी (अ.स.) की शान में बे-अदबी या गुस्ताख़ी की, तो उस को दोज़ख़ में डाला जाएगा।

◆ मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम:

वह हस्ती-जिसका वादा किया गया। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का वादा और क़ौमे मेहदी मौऊद (अ.स.) का वादा इशारतन् अठारह मुक़ामात पर कुरआन मजीद में आया है व नीज़ मेहदी मौऊद (अ.स.) के ताल्लुक से कई सौ अहादीस आई हैं। मेहदी मौऊद (अ.स.) के ताल्लुक से हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया, 'जब मेहदी (अ.स.) की बेअसत की ख़बर मिले तो जाओ और जा कर बैअत करो, ख़्वाह तुम को बर्फ़ पर से रेंगते हुए जाना पड़े, क्यूंकि वह अल्लाह का ख़लीफ़ा मेहदी है।'

एक और हदीस का मफ़हूम यूं है, "मेहदी मुझ से है, मेरे क़दम ब क़दम चलेगा, ख़ता नहीं करेगा।"

एक और हदीस का मफ़हूम यूं है, "वह उम्मत कैसे हलाक होगी, जिस के शुरू में मैं हूँ, आख़िर में ईसा इब्ने मरियम हैं और दरमियान में मेहदी- मेरी अहेले बैत से हैं। उन के दरमियान एक टेढ़ी या गुमराह जमाअत है, जो ना मुझ से है और ना मैं उस से हूँ।"

◆ नानरेज़ा:

बहरेआम के दिन किसी दायरे में सुब्ह व रात नानरेज़ा तक्सीम किया जाता है और किसी दायरे में सिर्फ़ रात को। अलबत्ता, हज़रत मेहदी मौऊद

अलैहिस्सलाम की बहरेआम मुबारक के रोज़ दिन भर और रात में नानरेज़ा तक्सीम किया जाता है। चना, गेहूँ, लोबा वगैरा को उबालकर नमक लगाकर मुर्शिद बहरेआम के दिन तक्सीम फ़रमाते हैं। इलावा अर्जी, बूंदी, जिलेबी या नुक़क़ल(एक किस्म की मिठाई) या मीठा नानरेज़ा भी तक्सीम किया जाता है।

साहिबे किताब “खातिमे सुलेमानी” ने फ़रमाया कि, ‘एक दफ़ा ऐसा इत्तेफ़ाक़ हुवा कि थोड़ा सा ग़ल्ला निकला, इसलिए ख़लीफ़ा-ए-गिरोह (रज़ी.) ने खिचड़ी ना पकवाकर उस को उबाल दिया और ज़रा-ज़रा सवियत कर दिया, उस वक़्त से घुंगनियाँ पकवाने की ये सुरत हर बहरेआम पर जारी हो गई।’

अजब नहीं कि हज़रत ख़लीफ़ा-ए-गिरोह (रज़ी.) के ज़माने में बहरेआम के रोज़ कहीं से अल्लाह दिया चंद चपातियाँ आ गई हों। दायरे मुअल्ला में उसरत(तंगी) की वज़ह से आप (रज़ी.) ने उन रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़े (यानी) अपने दस्ते मुबारक से कर के सवियत कर दिये हों। ग़ालिबन् इस वजह से भी घुंगनियों पर भी नानरेज़ा का नाम लग गया। और यही तबर्क़ नसलन् बाद नस्ल हर (मेहदवी) शख़्स की ज़बान पर चढ़ा हुआ है।(हुदूदे दायरा-मेहदविया)

◆ नक़्लियात :

क्रौम में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के फ़रमान को नक़्ल कहा जाता है। नक़्ल की जमा नक़्लियात और फ़रमान की जमा फ़रामीन है। इमामुना अलैहिस्सलाम के फ़रामीन का वही दर्जा और मरतबा है जैसा कि फ़रामीने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) यानी अहादीस मुबारक का है। “नक़्ल अस्त मीराँ फ़र्मूदन्द” के बाद हमारा काम सर झुकाने का है। किसी नक़्ल शरीफ़ की बातें हमारी समझ में ना आई, तो उस का रद या इन्कार हरगिज़ ना करें। बल्कि, किसी ज़ाकिर से मालूम करे। क्यूंकि ज़ाकिर का दर्जा आलीम से बड़ा होता है। इन्शा अल्लाह, नक़्ल शरीफ़ की बारीकी समज़ में आ जाएगी। याद रखें,

इन्कारे हदीस शरीफ़ इन्कारे नबुव्वत है। इसी तरह इन्कारे नक्ल भी इन्कारे मेहदियत है। अल्लाह त्आला हम को अपनी पनाह में रखे।

◆ हड़वाड़ :

हमारे हज़ीरों में मोमिनीन मुसद्दिकीन के हड़वाड़ होते हैं और क़रीबी रिश्तेदार अपने-अपने बुजुर्ग के क़रीब रहना पसंद करते हैं। उमूमन्, हड़वाड़ दाधियाली रिश्ते से चलते हैं-मसलन्, परदादा, दादा, वालिद वगैरा। ब-फ़ज़्ले त्आला क़ौम में हड़वाड़ के लिए जगह लिल्लाह मिलती आ रही है। क्यूंकि सुल्ताने हज़ीरा ने हज़ीरे की ज़मीन अपने ज़ाती सफ़्रा से ख़रीद फ़रमाई थी, या ये ज़मीन लिल्लाह मिली थी। हर दो सूरतों में सुल्ताने हज़ीरा ने उस को क़ौम के लिए वक्फ़ फ़रमा दिया था। सुल्ताने हज़ीरा के जानशीन एक से ज़ियादा होते हैं, लेकिन किसी एक जानशीन के हक़ में दूसरे सब जानशीन दस्तबरदार हो जाते हैं और मुतवल्ली कहलाने वाले पर हज़ीरे की हिफ़ाज़त व सयानत की ज़िम्मेदारी आईद होती है और वह अमानतदार होता है। अल् ग़रज़, कुबूर की जगह हड़वाड़ कहेलाती है।

(खत्म शुद)



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ اهْتِنَا مُحَمَّدًا نَبِيَّنَا
الْقُرْآنُ وَالْهُدَىٰ أَمَانًا مَّا وَصَّيْتَنَا

